अध्याय-2

सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.2 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा

अध्याय–2
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

परिचय

2.1.1 बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) (पूर्ववर्त्ती बिहार स्वास्थ्य परियोजना विकास निगम लिमिटेड) जिसका मुख्यालय पटना में है, भवन निर्माण विभाग (भ0नि0वि0) बिहार सरकार के प्रशासी नियंत्रण में है। कम्पनी का प्रबन्धन निदेशक पर्षद (बोर्ड) में निहित है, जिसमें प्रबन्ध निदेशक सहित नौ निदेशक है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है और उन्हें मुख्य महाप्रबन्धक (मु0म0प्र0) तथा पाँच महाप्रबन्धक (म0प्र0) के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कम्पनी के नौ परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) है, जो पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तथा सारण में है, जिनकी अगुवाई उप महाप्रबन्धक करते है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी के नौ पी0आई0यू0 में से पाँच का नमूना जाँच किया गया। लेखापरीक्षा के अवधि में इन पाँचों पी0आई0यू0 ने ₹ 1,309.05 करोड़ (नौ पी0आई0यू0 के ₹ 1,754.78 का 75 प्रतिशत) के 699 कार्यों (नौ पी0आई0यू0 के द्वारा कार्यान्वित 1,119 कार्यों का 62 प्रतिशत) को कार्यान्वित किया।

कुल 20 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ की गई एवं इनमें से अधिकांश उस प्रकृति की है जो कम्पनी के द्वारा कार्यान्वित किए गए अन्य कार्यों जो नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं था, में समान त्रुटियों/चूकों को प्रतिबिम्बित कर सकती है। इसलिए कम्पनी को अपने द्वारा कार्यान्वित किए गए अन्य सभी कार्यों का आन्तरिक जाँच कराना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किये गए है।

कम्पनी के द्वारा 27 उपयोगकर्ता विभागों/लोक उपक्रमों/बिहार सरकार के एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन किया गया था जिन पर कम्पनी ने सेन्टेज[1] भारित किया था। निर्माण कार्यों को, कम्पनी द्वारा प्रतिस्पर्धा बोली के आधार पर नियुक्त उप–ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वर्ष 2012–17 की अवधि में कम्पनी द्वारा केवल बिहार सरकार के विभिन्न इकाईयों द्वारा दिए गए कार्यों को कार्यान्वित किया गया जिसमें भ0नि0वि0 भी सम्मिलित है, जो स्वयं भी इस तरह के कार्यों को करता है।

कम्पनी का लाभ वर्ष 2012–13 में ₹ 3.24 करोड़ से वर्ष 2013–14 में ₹ 14.59 करोड़, वर्ष 2014–15 में ₹ 41.23 करोड़ तक बढ़ा तथा उसके बाद वर्ष 2016–17 में बिहार सरकार द्वारा सेन्टेज के दरों में कमी किए जाने के कारण ₹ 26.61 करोड़ तक घट गया था।

---

[1] जनवरी 2016 तक, सेन्टेज परियोजना लागत का 10 प्रतिशत की दर से निर्धारित था। तत्पश्चात् निर्धारित सेन्टेज के दरों को निम्न प्रकार से सशोधित (23 जनवरी 2016) किया गया :

- (क) ₹ 10 करोड़ तक परियोजना लागत के लिए = सात प्रतिशत।
- (ख) ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा ₹ 100 करोड़ तक की परियोजना लागत के लिए = (क) + ₹ 10 करोड़ से अधिक मूल्य का पाँच प्रतिशत।
- (ग) ₹ 100 करोड़ से अधिक के परियोजना लागत के लिए = (ख) + ₹ 100 करोड़ से अधिक मूल्य का एक प्रतिशत।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्य पद्धति

2.1.2 यह कम्पनी का प्रथम निष्पादन लेखापरीक्षा (अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक किया गया) है और इसमें वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि में विभिन्न प्रकार के भवनों एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

लेखा परीक्षा द्वारा नौ पी0आई0यू0 में से पाँच,[2] जिसका व्यय, कुल व्यय का 75 *प्रतिशत* (₹ 1,309.05 करोड़) था, का जाँच किया गया। लेखा परीक्षा के लिये नमूना बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक प्रतिचयन विधि पर आधारित था।

लेखापरीक्षा कार्य पद्धति के अन्तर्गत कम्पनी के अभिलेखों की जाँच, लेखापरीक्षा टिप्पणी/पृच्छाओं का निर्गमन, अपूर्ण विलंबित परियोजनाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन, प्रबंधन के साथ प्रवेश एवं निकास सम्मेलन तथा प्रबंधन/भ0नि0वि0 का मंतव्य सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.1.3 कम्पनी का निष्पादन लेखापरीक्षा, कम्पनी के सभी मुख्य क्रियाकलाप जैसे वित्तीय प्रबन्धन, परियोजना प्रबन्धन, मानव संसाधन प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण और आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली, इत्यादि, मितव्ययिता, कुशलता एवं प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादन तथा बिहार सरकार के उपयोगकर्त्ता विभागों के गतिविधियों एवं बड़ी संख्या में लोगों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से की गई थी।

लेखापरीक्षा मापदंड

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये :

- कम्पनी के पार्षद सीमा नियम एवं अन्तर्नियम;
- प्रशासनिक विभाग/उपयोगकर्त्ता विभागों के निर्देश/स्वीकृति;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0)/प्रस्ताव के लिये अनुरोध;
- मानक बोली दस्तावेज (एस0बी0डी0)/परियोजना क्रियान्वयन का एकरारनामा;
- भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अनुसूची दर;
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देश; और
- बिहार वित्तीय नियमावली 2005, लागू अधिनियम एवं नियम।

अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा कम्पनी एवं उसके अधिकारियों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि में दिए गये सहयोग एवं सहायता के लिये आभार प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा अनुवर्त्ती कंडिकाओं में की गई है:

[2] दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के पी0आई0यू0।

मानव संसाधन प्रबंधन

2.1.5 कम्पनी के मानव संसाधन की स्थिति नीचे के तालिका सं0 2.1.1 में दिखाया गया है:

तालिका सं0 2.1.1 कम्पनी के मानव शक्ति की स्थिति

पद का नाम	मार्च 2014			मार्च 2017		
	स्वीकृत बल	वास्तविक बल	कमी	स्वीकृत बल*	वास्तविक बल	कमी
प्रबंध निदेशक	1	अतिरिक्त प्रभार	–	1	अतिरिक्त प्रभार	–
मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधक	6	4	2	8	7	1
उप महाप्रबंधक	18	12	6	23	10	13
सहायक महाप्रबंधक	71	14	57	90	20	70
कनीय अभियंता	103	10	93	107	29	78
अन्य कर्मचारी	141	37	104	199	65	134
कुल	**340**	**78**	**262**	**428**	**132**	**296**

*अक्टूबर 2014 मे स्वीकृत मानव शक्ति की स्थिति को सशोधित कर 340 से 428 किया गया था।

कम्पनी के गठन से ही प्रबन्ध निदेशक की नियमित नियुक्ति (एक बार छोड़कर) नहीं हुई थी और प्रबन्ध निदेशक का पद अतिरिक्त प्रभार (भ0नि0वि0 के प्रधान सचिव/सचिव/अपर सचिव के द्वारा) के रूप में रखा गया था। इसके फलस्वरूप विभाग के स्तर से कम्पनी के कार्यकलापों का प्रभावी अनुश्रवण नहीं था एवं कम्पनी के प्रतिदिन के कार्यों का प्रभावी प्रबंधन नहीं हो पाया था। चूँकि जिन प्राधिकारियों पर कम्पनी के निष्पादन की जिम्मेवारी थी उन्हीं प्राधिकारियों पर संचालन के वाह्य अनुश्रवण सुनिश्चित करने की भी जिम्मेवारी थी, अतः वहाँ हित संघर्ष था। यह लेखापरीक्षा आपत्तियों पर भ0नि0वि0 के जवाब से भी स्पष्ट होता है, क्योंकि ज्यादातर जवाब (नीचे लेखापरीक्षा प्रभाव में दिए गए सुधारात्मक कदमों को छोड़कर) कम्पनी के अनियमित कार्यकलापों की सफाई को समर्थन प्रदान करता है जबकि विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय एवं अन्य नियमों का पालन करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाए।

सहायक महाप्रबंधक (स0म0प्र0) एवं कनीय अभियंता (क0अभि0) के संवर्ग में अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए कम्पनी ने वर्ष 2012– 13 से 2016–17 के बीच में 21 नियुक्ति प्रक्रियाएँ प्रारम्भ किया। परन्तु, नियुक्ति के लिए लक्षित 300 कर्मियों के बदले मार्च 2017 तक सिर्फ 140 कर्मियों को नियुक्त किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच के क्रम में इस असफलता का कारण रिक्तियों के अन्तिमीकरण में विलम्ब एवं रिक्तियों का रद्दीकरण पाया गया। पुनः कम्पनी ने मानव शक्ति रिक्तियों के नियुक्ति के लिए समेकित विज्ञापन नहीं निकाला बल्कि मार्च 2014 में 262 रिक्तियाँ होने के बावजूद भी, वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि में एक से 40 पदों के लिए टुकड़ों में 14 अलग–अलग विज्ञापन प्रकाशित किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि कम्पनी रिक्तियों को भरने में गंभीर नहीं थी।

मार्च 2017 को, 47 स0म0प्र0 (असैनिक) के स्वीकृत कार्य बल के बदले सिर्फ 17 उपलब्ध थे। क0अभि0 (असैनिक) के संदर्भ में, 101 स्वीकृत बल के बदले सिर्फ 27 उपलब्ध थे। इसके परिणामस्वरूप एक क0अभि0 को किसी एक समय में एक से 21 कार्यों को निष्पादित करना पड़ा। कार्यों के असंतुलित बँटवारा/अतार्किक कार्यभार के परिणामस्वरूप कार्यों का अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण/अनुश्रवण हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए भ0नि0वि0 (नवम्बर 2017) ने कहा कि रिक्तियों को भरने का कार्य किया जाएगा। भ0नि0वि0 ने प्रबन्ध निदेशक के पद को हमेशा अतिरिक्त प्रभार में रहने का कोई जवाब नहीं दिया। भ0नि0वि0 ने सूचित किया कि कम्पनी नामी संस्थानों जैसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान/भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, पटना तथा अन्य सूचिबद्ध गुणवत्ता परामर्शी को तीसरे पक्षकार पर्यवेक्षक के रूप में उपयोग करती है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि कम्पनी का सम्पूर्ण पदनुक्रमित संरचना उस अवधि से संबंधित है जब कार्यों को विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता था। कम्पनी स्वयं किसी कार्य को कार्यान्वित नहीं करती है एवं इसका कार्य मूलतः संविदा प्रबंधन का है, जिसके लिए वर्त्तमान स्वीकृत बल एवं तैनाती अनुपयोगी है।

अनुशंसा

1. कम्पनी को जल्द से जल्द पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करना चाहिए।

2. चूँकि कम्पनी स्वयं यह महसूस करती है कि तृतीय पक्ष पर्यवेक्षकों एवं गुणवत्ता परामर्शियों द्वारा प्रभावशाली रूप से कार्य किया जा रहा है अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कम्पनी को अपने वर्त्तमान मानव शक्ति संरचना का विश्लेषण करना चाहिए कि यह कम्पनी की भूमिका से मिलता है, जिससे की अनावश्यक पदों को खत्म किया जा सके तथा एक छोटा एवं प्रभावशाली संगठन गठित एवं संचालित किया जाए।

वित्तीय प्रबन्धन

वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

2.1.6 कम्पनी के वर्ष 2012–13 से 2016–17 की अवधि के दौरान वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम नीचे तालिका सं0 2.1.2 में दिया जा रहा है:

तालिका सं0 2.1.2 : वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(राशि: ₹ करोड़ में)

वित्तीय स्थिति					
निधियों के स्रोत :					
विवरणी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
अंश पूँजी	5.00	5.00	5.00	5.00	**5.00**
संचय एवं आधिक्य	(0.03)	8.90	33.59	38.84	**57.39**
बिहार सरकार एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त अग्रिम	244.54	631.58	1,234.81	1,962.70	**2,652.27**
चालू दायित्व एवं प्रावधान	5.59	35.70	75.44	95.13	**111.55**
कुल	**255.10**	**681.18**	**1,348.84**	**2,101.67**	**2,826.21**

निधियों का प्रयोग :					
शुद्ध सम्पत्तियाँ	0.26	4.68	4.43	4.54	4.37
पूँजीगत क्रियाधीन कार्य	—	—	2.19	23.70	18.34
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	205.70	371.33	430.61	735.13	909.31
अन्य चालू सम्पत्तियाँ	49.14	305.17	911.61	1,338.30	1,894.19
कुल	255.10	681.18	1,348.84	2,101.67	2,826.21
कार्यकारी परिणाम					
विवरणी	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
संचालन/सेन्टेज से राजस्व	4.41	28.76	58.18	27.34	39.26
बैंक (सावधि जमा) से ब्याज	29.95	12.51	14.32	11.48	18.21
कुल	34.36	41.27	72.50	38.82	57.47
व्यय					
वित्तीय लागत	29.90	12.37	13.38	11.18	16.16
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	1.22	14.31	17.89	19.29	14.70
कुल	31.12	26.68	31.27	30.47	30.86
कर के पूर्व लाभ/हानि	3.24	14.59	41.23	8.35	26.61
घटाव: पूर्व अवधि के समायोजन एवं कर	1.10	5.16	14.46	2.84	7.98
कर के बाद का लाभ/हानि	2.14	9.43	26.77	5.51	18.63
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	65.19	106.50	106.82	18.94	71.71
अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	42.86	67.84	69.41	12.57	29.86
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	65.19	106.50	106.82	18.94	71.71

- कम्पनी के निरन्तर लाभार्जन के कारण संचय एवं आधिक्य वर्ष 2012–13 में (–) ₹ 0.03 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में ₹ 57.39 करोड़ हो गयी थी। परन्तु कम्पनी ने 2013–17 में अनियमित रूप से ₹ 47.52 करोड़ सेन्टेज के रूप में, बिना दो उपयोगकर्ता विभागों[3] के स्वीकृति से सम्मिलित किया था, जिसके परिणामस्वरूप लाभ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया क्योंकि भुगतान प्राप्त होने का कोई आश्वासन नहीं था। कम्पनी ने निकास सम्मेलन (नवम्बर 2017) में तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि खा0उ0सं0 विभाग, सेंटेज भुगतान हेतु अब मान गया है लेकिन, स्वास्थ्य विभाग नहीं माना है। फलस्वरूप संचय एवं आधिक्य को ₹ 12.56 करोड़ से कम किए जाने की आवश्यकता थी।
- अक्टूबर 2013 से मार्च 2017 के अवधि में सम्बन्धित पी0आई0यू0 के उप महाप्रबन्धकों ने 23 उपयोगकर्त्ता विभागों के 730 कार्यों को, जिनका कुल व्यय ₹ 923.58 करोड़ था को पूर्ण एवं हस्तान्तरित किया। परन्तु कम्पनी इन 730 कार्यों को, अन्तिम विपत्र के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारण वार्षिक लेखें में कार्य प्रगति के तौर पर ही दिखा रही है।

[3] स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण (ख0उ0सं0) विभाग, बिहार सरकार।

निधि की प्राप्ति एवं उपयोग

2.1.7 कम्पनी द्वारा किए गये सभी कार्य जमा शीर्ष के अन्तर्गत है, जहाँ ग्राहकों से निधि अग्रिम में लिया जाता है। निधि की प्राप्ति एवं उपयोग का विवरण नीचे तालिका सं0 – 2.1.3 में दिया जा रहा है:

तालिका सं0 2.1.3 : जमा कार्यों के लिये निधि की प्राप्ति एवं उपयोग की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	निधि का उपयोग	निधि के उपयोग का प्रतिशत	निधि का प्रत्यर्पण
2012–13	1.80	286.72[4]	46.48	16.21	151.66
2013–14	465.21	553.79	300.50	54.26	30.26
2014–15	657.77	880.80	637.49	72.38	0.00
2015–16	718.57	961.88	445.81	46.35	0.44
2016–17	684.20	1,199.83	577.58	48.14	2.80
कुल	**2,527.55**		**2,007.86**	**71.39 (सम्पूर्ण उपयोग)**	**185.16**

- निधि के कम उपयोग के कारण कार्य के आरम्भ में विलम्ब के साथ–साथ कार्य की धीमी प्रगति है जैसा कि आगे कंडिका संख्या 2.1.13, 2.1.21, 2.1.23 एवं 2.1.24 में चर्चा की गई है।

- 2012–13 से 2016–17 की अवधि में कम्पनी द्वारा सम्बन्धित विभागों को ₹ 185.16 करोड़ की राशि का प्रत्यर्पण किया गया जिसमें ₹ 181.11 करोड़ (2012–13 में ₹ 151.66 करोड़ एवं 2013–14 में ₹ 29.45 करोड़) बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित था, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी0एच0सी0) के निर्माण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) में उन्नयन के लिये दिया गया था। कम्पनी द्वारा विभिन्न कारणों जैसे वर्ष 2008 में गठित बिहार राज्य स्वास्थ्य विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी का पूर्ववर्त्ती नाम) के पार्षद सीमा नियम एवं अन्तर्नियम का अन्तिम रूप से तैयार नहीं होना, दो वर्षों से अधिक समय के लिये कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नहीं होना, 286 कार्यों में भूमि का नहीं मिलना, इत्यादि कारणों से कार्यों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, जिस कारण निधि का प्रत्यर्पण किया गया। पुनः 2015–17 की शेष बची निधियों में से ₹ 3.24 करोड़ का प्रत्यर्पण किया गया, जिसमें ₹ 2.60 करोड़ ए0एन0सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान से सम्बन्धित था जो कर्मचारी के आवासीय भवनों के निर्माण के लिये दिया गया था परन्तु बाद में सम्बन्धित संस्था द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, एवं ₹ 44.37 लाख बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के विवाह भवन के निर्माण से सम्बन्धित था, उसे संबंधित उपयोगकर्त्ता एजेंसी द्वारा वापस माँगे जाने पर लौटा दिया गया था।

[4] 01 अप्रैल 2012 तक प्रारंभिक शेष ₹ 284.92 करोड़ के साथ।

अन्य अनियमितताएँ

जमा कार्यों पर ब्याज का दावा नहीं किया जाना

अपनी निधियों का परियोजना कार्यों में विचलन करने के कारण, कम्पनी ने ₹ 4.55 करोड़ के ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया

2.1.8 जमा शीर्ष के कार्यों के क्रियान्वयन में जहाँ निधि अग्रिम में प्राप्त की जाती है, अपने नीति से विचलन करते हुए कम्पनी ने उपयोगकर्त्ता विभागों से बिना निधि प्राप्त किए 15 परियोजनाओं में स्वयं का ₹ 55.44 करोड़ (जुलाई 2014 से जून 2016) उपयोग किया। इसमें से मार्च 2017 तक ₹ 32.66 करोड़ असमायोजित पड़ा हुआ था। चूँकि कम्पनी के निधि को ब्याज युक्त खातों में रखा जाता है एवं इस पर अर्जित ब्याज कम्पनी की आय होती है, कम्पनी निधि का परियोजना कार्यों में विचलन करने के कारण कम्पनी ने ₹ 4.55 करोड़ (कम्पनी के प्रतिभूति जमा पर ₹ 4.20 करोड़ और सेन्टेज आय पर ₹ 35 लाख[5]) के ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

भ0नि0वि0 ने लेखापरीक्षा के आपत्ति पर अपने जवाब में (नवम्बर 2017) इसे स्वीकारा परन्तु कम्पनी को हुए ब्याज की हानि के प्रतिपूर्ति पर कोई स्पष्टीकरण नहीं सौंपा।

ऑटो स्वीप सुविधा का उपयोग न करने के कारण ब्याज की हानि

बचत खातों में ऑटो स्वीप सुविधा का उपयोग न करने के कारण, कम्पनी ने ₹ 1.56 करोड़ के ब्याज से आय का अवसर खो दिया

2.1.9 यह देखा गया कि 2012–13 से 2016–17 के अवधि में कम्पनी के प्रत्येक नौ पी0आई0यू0 में अलग–अलग बचत खातों का संचालन किया जा रहा था, जिसमें न्यूनतम मासिक शेष ₹ 0.33 करोड़ से ₹ 23.45 करोड़ तक था। यदि कम्पनी ने ऑटो स्वीप (आधिक्य राशि को सावधि जमा में निरंतर हस्तान्तरण के लिए) की सुविधा का विकल्प चुना होता तो उससे ₹ 1.56 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज की आमदनी होती।

तथ्यों को स्वीकारते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि कम्पनी के वर्त्तमान बचत खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा ले ली गई है।

अनुशंसा

कम्पनी को अपने निधियों के प्रबन्धन में कुशलता लानी चाहिये।

आन्तरिक निरीक्षण तंत्र

गुणवत्ता नियंत्रण

2.1.10 कम्पनी के पास प्रत्येक पी0आई0यू0 में निर्माण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के परीक्षण[6] के लिये आन्तरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है। कम्पनी के द्वारा माँगें जाने पर राष्ट्रीय प्रौधोगिक संस्थान/भारतीय प्रौधोगिक संस्थान, बिहार के विभिन्न अभियांत्रिकी महाविधालय, सूचीबद्ध तीसरे पक्षकार की प्रयोगशाला, पंजीकृत प्रख्यात प्रयोगशाला, इत्यादि के द्वारा भी गुणवत्ता आश्वासन दी जाती है। मानक बोली दस्तावेज (एस0बी0डी0)[7] के शर्त्तों के अनुसार ₹ दो करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिये संवेदक द्वारा निर्माण स्थल पर एक अलग प्रयोगशाला स्थापित करनी होती है। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- 11 विशिष्ट पदों (प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक इत्यादि) में से कोई भी पद नहीं भरा गया था जिसके कारण सभी परीक्षण, पी0आई0यू0 के कनीय अभियंता के द्वारा किया गया, जो कार्यों के क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार थे, जिससे हितों में टकराव हुआ।

[5] उस अवधि में प्रचलित सात प्रतिशत की दर से गणना।

[6] सीव एनालिसिस, नमी की मात्रा की जाँच, कंक्रीट की कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ, कम्पेक्शन टेस्ट, इत्यादि।

[7] विभिन्न प्रकार के दिशानिर्देश एवं निविदा का अन्तिमीकरण के लिए नियम एवं शर्त्त दस्तावेज जिसमें निहित है एवं कार्यों के क्रियान्वयन के लिए संवेदकों के साथ एकरारनामा के मानक फार्म के उद्देश्य की पूर्ति भी करता है।

भ0नि0वि0 ने अपने जवाब में कहा (नवम्बर 2017) कि प्रयोगशाला तकनीशियनों/ प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जुलाई 2016 में विज्ञप्तित रिक्तियों को अभी तक (मार्च 2018) अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं ।

- कम्पनी के कार्यादेश के मानक शर्त्त के अनुसार सिर्फ विशिष्ट उत्पादनकर्त्ता (टाटा, सेल या वाईजैग स्टील) के ही सुदृढ़ स्टील छड़ों का उपयोग किया जाना था। परन्तु यह देखा गया कि कम्पनी के पास स्टील के जाँच की स्वयं द्वारा अथवा तीसरे पक्षकार एजेन्सी द्वारा, कोई व्यवस्था नहीं थी। पुनः नमूना जाँच के क्रम में यह देखा गया कि पाँच पी0आई0यू0 के 355 कार्यों में ₹ 190.84 करोड़ के 33,700 एम0टी0 स्टील का उपयोग सुदृढ़ीकरण में किया गया था, तथापि कम्पनी के संबंधित अधिकारी, संवेदकों से इनके क्रय से संबंधित अभिश्रवों को प्राप्त करने में असफल रहें। इसके परिणामस्वरूप उपयोग किए गए सुदृढ़ स्टील के गुणवत्ता को लेखापरीक्षा में प्रमाणित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा आपत्ति का जवाब देते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि निर्माण के अनुमोदित डिजाईन के अनुसार कंक्रीट के ढ़लाई से पहले कम्पनी के पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से स्टील पर अंकित निर्माता के मुहर की जाँच की जाती है। साथ ही साथ, कम्पनी में संवेदकों से सुदृढ़ स्टील के क्रय के अभिश्रवों को प्राप्त करने का कोई निर्धारित प्रणाली भी नहीं था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है। कम्पनी के पास अधिकारियों द्वारा कार्यों में उपयोग किए गए सामग्री पर अंकित मुहर के मिलान एवं सत्यापन से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। पुनः कम्पनी ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है जिसमें निर्माण में उपयोग किए गए स्टील के क्रय से संबंधित अभिश्रवों को प्राप्त किया जा सके जो सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त गुणवत्ता का स्टील उपयोग किया गया है।

अनुशंसा

कम्पनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रयोगशाला परीक्षण के कार्य का निष्पादन प्रभावशाली तरीके से हो रहा है एवं अभिश्रव प्राप्त किए जा रहे है ताकि यह प्रमाणित हो सके कि निर्माण प्रक्रिया में निर्दिष्ट प्रख्यात उत्पादनकर्त्ता का स्टील उपयोग किया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.1.11 चूँकि कम्पनी के पास अपना आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध नहीं था, वे सनदी लेखाकारों (सी0ए0) के फर्मों को इस कार्य के लिए नियुक्त करते थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि सी0ए0 लेखाओं के समेकितीकरण, बैंक खातों का समाशोधन, इत्यादि कार्यों के लिए भी जिम्मेवार थे जो हितों के टकराव को स्थापित करता है। पुनः यह देखा गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विस्तृत तकनीकी लेखापरीक्षा एवं व्यय के औचित्य सम्मिलित नहीं थे, जिससे एक आन्तरिक नियंत्रण के पर्याप्तता का औचित्य एवं वित्तीय लेन–देन पर आंतरिक जाँच को लागू करना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आन्तरिक लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन की समीक्षा एवं उसके अनुपालन हेतु कम्पनी में कोई तंत्र नहीं था। अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली अप्रभावी थी। भ0नि0वि0 ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (नवम्बर 2017) ।

निगरानी स्कंध

कम्पनी के पास विभिन्न कार्यों के स्वतंत्र जाँच के लिए निगरानी स्कंध या एक नियमित मुख्य निगरानी अधिकारी (सी0वी0ओ0) नहीं था।

अनुशंसा

कम्पनी को ससमय कमियों का पता लगाने एवं उपचारात्मक कार्यवाही के लिए जल्द से जल्द स्वतंत्र आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध एवं नियमित सी0वी0ओ0 सहित निगरानी स्कंध स्थापित करना चाहिए।

परियोजना प्रबंधन

2.1.12 कम्पनी ने 2012–13 से 2016–17 की अवधि में विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जैसा कि निम्न तालिका सं0 2.1.4 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 2.1.4 : कम्पनी के द्वारा किए कार्यों का विवरण

(संख्या में)

भवन के प्रकार	कुल कार्य	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	नमूना जाँचित मामलें	योजनाओं में विलम्ब के मामलें	एकरारनामा क्रियान्वयन में विलम्ब	समापन में विलम्ब (कुल में से)	हस्तांतरण में विलम्ब
गोदामों का निर्माण	538	1,045.86	342	222	178	326	90
पी0एच0सी0 का सी0एच0सी0 में उन्नयन	192	656.87	119	5	85	86	46
अन्य कार्य	389	1,669.26	238	134	80	83	67
कुल	**1,119**	**3,371.99**	**699**	**361**	**343**	**495**	**203**

मुख्य परियोजनाओं की स्थिति ***अनुलग्नक 2.1.1*** में दिया गया है। कम्पनी के द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए कमियों की चर्चा नीचे की गई है :

योजना

योजना प्रक्रिया में अनियमिताओं पर आपत्तियों की चर्चा नीचे की गई है :

योजना प्रक्रिया में विलम्ब

2.1.13 सरकारी आदेश (नवम्बर 2013) के अनुसार उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन देने के तारीख से 90 दिनों के अन्दर योजना प्रक्रिया जिसमें मिट्टी की जाँच, प्राक्कलन का निर्माण, तकनीकी स्वीकृति का अनुमोदन, निविदा का अन्तिमीकरण, इत्यादि शामिल है, को पूरा कर लेना चाहिए।

पाँच चयनित पी0आई0यू0 के कार्य अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 361 कार्य का प्रारम्भ प्रशासनिक स्वीकृति के 90 दिनों के बाद भी एक से 21 महीने के विलम्ब से किया गया। इनमें से 39 मामले में विलम्ब छः महीने से एक वर्ष का था तथा 68 मामलों में विलम्ब एक वर्ष से अधिक का था। विलम्ब के कारणों में योजना प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं करना सम्मिलित था, जिसका नतीजा संबंधित पी0आई0यू0 के उप महाप्रबंधक द्वारा प्राक्कलन बनाने में देरी, तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन में विलम्ब, मुख्य महाप्रबंधक द्वारा निविदा आमंत्रण में विलम्ब एवं निविदा के निरस्तीकरण के परिणामस्वरूप पुनर्निविदा था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में भ0नि0वि0 ने अपने जवाब (नवम्बर 2017) में कहा कि विलम्ब का कारण उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा स्थल योजना, वास्तु–शिल्प, डिजाइन, इत्यादि के अनुमोदन में विलम्ब तथा पुनर्निविदा एवं निर्माण स्थल पर कठिनाईयाँ थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऊपर दिए गए कारणों के अनुसार प्रथम दृष्टया विलम्ब कम्पनी द्वारा किया गया था।

अनुशंसा

कम्पनी को विभिन्न योजना गतिविधियों हेतु समयावधि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

बिना प्रशासनिक स्वीकृति के कार्य का क्रियान्वयन किया जाना

2.1.14 बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार लोक निर्माण विभाग (बि0लो0नि0वि0) कोड यह निर्देशित करता है कि किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन होना चाहिए।

कम्पनी ने सात कार्य बिना प्रशासनिक अनुमोदन के किए जिसके फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ अप्रैल 2016 से अवरूद्ध थे

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबन्ध निदेशक ने उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना उपयोगकर्त्ता विभाग (खा0उ0सं0) से प्रशासनिक स्वीकृति लिए अथवा निदेशक पर्षद से अनुमोदन लिए, तथा अभिलेखों के अनुसार उपयोगकर्त्ता विभाग के मौखिक आदेशानुसार (जनवरी 2015) सात प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों[8] के निर्माण का आदेश दिया। **₹** 1.28 करोड़[9] व्यय होने के बाद कार्य को निधि के अभाव में मार्च/अप्रैल 2016 में रोक दिया गया। अवरूद्ध कार्य की स्थिति नीचे छायाचित्र में प्रदर्शित की गई है :

छायाचित्र सं0 : 2.1.1

13.5.2017 को नरकटियागंज – 3 में 5,000 एम0टी0 का गोदाम

03.06.2017 को धमदाहा पूर्णियाँ में 5,000 एम0टी0 का गोदाम

भ0नि0वि0 ने अपने जवाब (नवम्बर 2017) में कहा कि उपयोगकर्त्ता विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति (अक्टुबर 2017) दे दिया है। फिर भी तथ्य यह है कि बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्माण के आदेश के परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ का कार्य 18 महीनों से अधिक समय तक बंद पड़ा रहा।

अनुशंसा

कम्पनी को उपयोगकर्त्ता विभागों से प्रशासनिक अनुमोदन मिलने के पश्चात् ही कार्यों का क्रियान्वयन प्रारंभ करना चाहिए।

किशनगंज कृषि महाविद्यालय परियोजना के परामर्शी को अनावश्यक भुगतान एवं परिहार्य व्यय

2.1.15 डा0 अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के निर्माण कार्य के लिए डिजाइन/प्राक्कलन/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) के निर्माण के लिए

[8] नरकटियागंज–3, धमदाहा, बायसी, पूर्णिया में 5,000 एम0टी0 एवं जन्दाहा, अररिया एवं कुढनी में 1,000 एम0टी0 गोदाम का निर्माण कार्य।

[9] क्रियान्वयन के पूर्व के क्रियाकलापों पर ₹ 0.27 करोड़ एवं नरकटियागंज–3 और धमदाहा में 5,000 एम0टी0 क्षमता के गोदामों के निर्माण कार्य पर ₹ 1.01 करोड़।

₹ 501.57 करोड़ की प्राक्कलित राशि के 1.12 प्रतिशत परामर्शी शुल्क पर एकरारनामा (मई 2013) किया गया था। अभिलेखों के लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि :

- प्रचलित आदेशों (जून 2011) के अनुसार परिणाम विपत्र (बी0ओ0क्यू0) को तैयार करने में भ0नि0वि0 के अनुसूची दरों (एस0ओ0आर0) का कम्पनी के द्वारा अनुकरण किया जाएगा एवं अगर सिर्फ किसी मद का दर उपलब्ध नहीं है तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के0लो0नि0वि0) के एस0ओ0आर0 का अनुपालन किया जाएगा। पुनः यह देखा गया कि यद्यपि भ0नि0वि0 के एस0ओ0आर0 में श्रम एवं स्थानीय सामग्री, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, का कम दर उपलब्ध था, तथापि परामर्शी (डी0डी0एफ0 कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड) ने के0लो0नि0वि0, दिल्ली के एस0ओ0आर0 को प्रस्तावित किया। इसमे इन मदों की लागत ₹ 500.18 करोड से बढ़कर ₹ 501.57 करोड़ हो गई। बिना यथोचित उद्यम किए कम्पनी के अधिकारियों[10] ने उच्च दर को स्वीकारा जिससे उपयोगकर्त्ता विभाग को ₹ 1.11 करोड़[11] का संवेदकों के भुगतान एवं सेन्टेज पर अनावश्यक अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। जवाब में भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि मामलें को परामर्शी को उद्घृत किया गया है।

- एकरारनामा की शर्तों के अनुसार, अगर परियोजना में किसी डिजाइन का पुनः उपयोग किया जाता है तो परामर्शी, शुल्क के दर का मात्र 35 प्रतिशत पाने का हकदार होगा। कर्मचारी आवास निर्माण के कार्य में चार प्रकार के ब्लॉक (प्रकार – 1, 2, 3, 4) के डिजाइन का पुनः उपयोग अपेक्षित था। यह देखा गया है कि कम्पनी ने चारों प्रकार के ब्लॉक के लिए (पुनरावृत्त ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए) मूल दर पर भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप परामर्शी को ₹ 49.10 लाख[12] का अधिक भुगतान हुआ। जवाब (नवम्बर 2017) में भ0नि0वि0 ने तथ्यों को स्वीकारा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अनावश्यक भुगतान

2.1.16 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिसूचना (अगस्त 1995) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं हेतु आपूर्ति की गई सामग्रियाँ उत्पाद कर से मुक्त होती है।

कम्पनी, सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क का छूट लेने मे विफल रही, फलस्वरूप परियोजना/कार्य लागत में ₹ 5.25 करोड़ की वृद्धि हुई

कम्पनी ने (मई 2016) 101 बुनियाद केन्द्रों के भवनों एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण का कार्य किया था जो विश्व बैंक के सहायता से समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। कम्पनी इन कार्यों के लिए खरीदें या उपयोग किए गए सामग्रियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का छूट पाने के योग्य थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्शी[13] ने गलती से इन कार्यों के प्राक्कलन में उपयोग किए जाने वाले सीमेन्ट एवं स्टील दरों पर उत्पाद शुल्क को सम्मिलित किया था। कम्पनी के

---

[10] मु0म0प्र0, म0प्र0 (उत्तर), उप म0प्र0 पूर्णिया, सहायक म0प्र0 तथा संबंधित क0अभि0।

[11] ₹ 0.84 करोड़ (मार्च 2017 तक खर्च किया गया अतिरिक्त व्यय) का 120 प्रतिशत के साथ में 10 प्रतिशत की दर से सेन्टेज।

[12] कुल भुगतान योग्य फीस की राशि = ₹ 27.75 करोड़ (प्रत्येक ब्लॉक के एक भवन का सेवाकर सहित अनुमानित लागत) x 1.12 प्रतिशत (मुख्य ब्लॉक के लिए) + ₹ 27.75 करोड़ x 1.12 प्रतिशत x 3 x 0.35 (पुनरावृत्त ब्लॉक के लिए) x 81 प्रतिशत भुगतान की राशि (आठवाँ चालू विपत्र तक) यथा ₹ 51.61 लाख। मार्च 2017 तक भुगतान की गई राशि ₹ 100.71 लाख थी। अतः ₹ 49.10 लाख अधिक भुगतान की गई।

[13] आर्किटेक्नों कन्सलटेन्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड।

अधिकारीगण[14] इस त्रुटि का पता लगाने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 5.25 करोड़[15] का अनावश्यक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा को अपने जवाब (नवम्बर 2017) में भ0नि0वि0 ने तथ्यों को स्वीकारा लेकिन कहा कि चूँकि परियोजनाएँ कम मूल्य की थी एवं लघु संवेदकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी, जो सामग्रियों का क्रय स्थानीय विक्रेता से करते थे, अतः उत्पाद शुल्क में छूट का उपयोग करना संभव नहीं था। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्पाद शुल्क में छूट का उपयोग करने के लिए प्रक्रिया ढूँढ़ने का उत्तरदायित्व सरकार एवं कम्पनी का था, जो यह करने में असमर्थ रहा जिसके फलस्वरूप राज्य के राजकोष पर ₹ 5.25 करोड़ का अनावश्यक बोझ पड़ा।

अनुशंसा

कम्पनी तकनीकी स्कंध के अन्तर्गत परामर्शी द्वारा तैयार प्राक्कलनों के जाँच के लिए समर्पित सेल के स्थापना पर विचार कर सकती है।

निविदा

2.1.17 बिहार सरकार के आदेशानुसार (मार्च 2008) दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सभी कार्यों का क्रियान्वयन एस0बी0डी0 के अनुसार होना चाहिए। निविदा से संबंधित अनियमितताओं पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का वर्णन नीचे किया जा रहा है :

नामांकन पर कार्य प्रदान करना

2.1.18 बिहार वित्तीय नियमावली (बि0वि0नि0) निर्धारित करता है कि ₹ 10 लाख से अधिक प्राक्कलित मूल्य के सभी कार्यों एवं सेवाओं को निविदा आमंत्रण के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सी0वी0सी0 का आदेश[16] (जुलाई 2007) अन्य बातों के साथ यह प्रावधानित करता है कि सरकारी ठेका में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्ट/अनियमित प्रक्रियाओं को समाप्त किए जाने हेतु सरकारी ठेका सिर्फ सार्वजनिक नीलामी/सार्वजनिक निविदा से ही प्रदान किया जाना चाहिए।

कम्पनी ने बि0वि0नि0 एवं सी0वी0सी0 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नामांकन के आधार पर ₹ 19.48 करोड़ का अतिरिक्त कार्य आवंटित किया

जनवरी 2013 से अप्रैल 2015 के बीच कम्पनी ने पाँच पी0आई0यू0 से संबंधित ₹ 278.51 करोड़ के 88 कार्यों[17] का कार्यावंटन किया। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि बि0वि0नि0 एवं सी0वी0सी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कम्पनी[18] ने (नवम्बर 2014 से दिसम्बर 2016 में) ₹ 19.48 करोड़ का अतिरिक्त कार्य,[19] इस तथ्य के बावजूद कि इन सभी मामलों में सभी अतिरिक्त कार्य का मूल्य ₹ 10 लाख से अधिक था, बिना निविदा आमंत्रित किए हुए उसी संवेदक को प्रदान किया, जिसने मूल कार्य का क्रियान्वयन किया था।

लेखापरीक्षा को अपने जवाब में (नवम्बर 2017) भ0नि0वि0 ने तथ्यों को स्वीकारते हुए कहा कि ये अतिरिक्त कार्य बि0लो0नि0वि0 कोड के अनुसार स्वीकार्य अतिरिक्त मदें थी एवं ये सभी कार्य पहले से मूल प्राक्कलनों में सम्मिलित थी, यद्यपि मूल एकरारनामा में सम्मिलित नहीं थी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी निविदा के समय अतिरिक्त कार्यों, जो मूल प्राक्कलनों का हिस्सा था, निविदा के बी0ओ0क्यू0 में सम्मिलित करने में

---

[14] मु0म0प्र0, म0प्र0 (उत्तर एवं दक्षिण), उ0म0प्र0, स0म0प्र0 एवं संबंधित क0अभि0।

[15] स्टील पर 12.50 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क एवं सीमेन्ट पर ₹ 50 प्रति बोरा (₹ 4.91 करोड़) (जोड़) इस पर ₹ 35.74 लाख का सेन्टेज सहित।

[16] 2006 के एस0एल0पी0 (सिविल) संख्या 10,174 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के व्याख्या पर आधारित।

[17] गोदामों का निर्माण, पी0एच0सी0 का सी0एच0सी0 में उन्नयन का कार्य, आवासीय उच्च विद्यालयों का निर्माण, इत्यादि।

[18] संबंधित पी0आई0यू0 के उ0म0प्र0 के प्रस्ताव एवं मु0म0प्र0 द्वारा स्वीकृति।

[19] चाहरदीवारी का निर्माण, पहुँच पथ, इत्यादि।

विफल रही थी। इसके अलावा बि0लो0नि0वि0 कोड उस कार्यमद को अतिरिक्त कार्य नहीं मानती है जो मूल कार्य का हिस्सा नहीं हैं। बि0वि0नि0 एवं सी0वी0सी0 के दिशा–निर्देशों के अनुसार कोई भी कार्यावंटन बिना निविदा के आमंत्रण के नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसा

कम्पनी को ₹ 10 लाख मूल्य से अधिक के सभी कार्य के लिए बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार खुली निविदा आमंत्रित करनी चाहिए।

प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों के कार्यावंटन में नियमों का उल्लंघन

संवेदक के क्षमता प्रावधानों को नजर अंदाज करते हुए 60 गोदामों का कार्यावंटन

2.1.19 भ0नि0वि0 ने निर्धारित (मई 2009) किया था कि समान कार्य के लिए अनुभव प्रमाण–पत्र में यदि निविदाकर्त्ता निजी संस्थाओं में समान राशि के किए गए कार्य का प्रमाण–पत्र सौंपता है, तो यह प्रमाण–पत्र, किसी सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता या आयकर/राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी/राष्ट्रीयकृत बैंकों के पंजीकृत मूल्यांकक के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

यह देखा गया कि उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, कम्पनी के अधिकारियों[20] ने निजी कम्पनी के परियोजना प्रबंधक द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र के आधार पर ₹ 125.66 करोड़ मूल्य के 60 प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों (1,39,500 एम0टी0) के निर्माण से संबंधित पाँच अनुबंध एक ही संवेदक[21] को आवंटित (अगस्त 2014 से दिसम्बर 2015) किया।

जून 2017 तक, इन 60 गोदामों में से 53 गोदामों का कार्य, निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि के सात से 15 महीना बीत जाने के बाद भी, संबंधित पी0आई0यू0 के अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विलम्ब एवं संवेदक द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण पूरा नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा आपत्ति के जवाब (नवम्बर 2017) में भ0नि0वि0 ने तथ्यों को स्वीकारा, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण, अत्यधिक कार्यभार (विभिन्न विभागों के 800 से अधिक कार्य) होने की सफाई दी। दी गई सफाई स्वीकार्य नहीं है।

संवेदक के क्षमता को सुनिश्चित किए बिना नौ गोदामों का अनुबंध आवंटन

2.1.20 एस0बी0डी0 निर्धारित करता है कि नई योजना के लिए बोली क्षमता[22] (बिड कैपेसिटी) की गणना करते समय संवेदक के सभी चालू कार्यों के मूल्य को घटाना चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि संवेदक[23] को ₹ 34.41 करोड़ के नौ प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों के कार्यावंटन के समय कम्पनी के अधिकारियों ने[24] ₹ 31.22 करोड़ मूल्य के चालू कार्यों को बोली क्षमता की गणना करते समय नहीं घटाया। इसके परिणामस्वरूप अयोग्य संवेदक को अनुबंध आवंटित किया गया। स्पष्ट रूप से संवेदक नई संविदा के कार्य को पुराने आवंटित कार्य के अतिरिक्त करने में असमर्थ था,

[20] निविदा मूल्यांकन समिति में प्रबंध निदेशक, मु0म0प्र0, म0प्र0 (उत्तर), म0प्र0 (वित्त) एवं उप म0प्र0 मुजफ्फरपुर।

[21] मेसर्स शिव शंकर सिंह कॉन्ट्रैक्ट प्राईवेट लिमिटेड।

[22] बिड कैपेसिटी = विगत पाँच वर्षों के अधिकतम वार्षिक टर्नओवर × प्रस्तावित कार्य के समाप्त होने की अवधि वर्षों में × 3 – वर्त्तमान कार्य (जारी कार्य)।

[23] मेसर्स बी0एस0 प्रोमोटर्स।

[24] तकनीकी मूल्यांकन समिति (प्रबंध निदेशक, मु0म0प्र0, म0प्र0 (दक्षिण), उप म0प्र0 (वित्त) एवं उप म0प्र0 पूर्णिया।

इसलिए संवेदक काम पूरा होने के निर्धारित अवधि (दिसम्बर 2015) के 24 महीनों के बीत जाने के बाद भी नौ गोदामों में से एक में भी कार्य को पुरा करने में असफल (दिसम्बर 2017) रहा।

लेखापरीक्षा को अपने जवाब (नवम्बर 2017) में भ0नि0वि0 ने कहा कि पाँच गोदामों के निर्माण का कार्य भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका। यह स्पष्टीकरण सिर्फ कम्पनी के दोष को बताता है। बि0लो0नि0वि0 कोड के नियम 109 के अनुसार, कम्पनी को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना निविदा का आमंत्रण भी नहीं करना चाहिए था।

अनुशंसा

निविदाओं का निस्तारण एस0बी0डी0 के नियमों एवं शर्तों तथा सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार करना चाहिए।

बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र के निविदा के अन्तिमीकरण के कारण विलम्ब

2.1.21 बि0लो0नि0वि0 कोड यह निर्धारित करता है कि कार्य के विस्तृत डिजाइन एवं प्राक्कलन का अन्तिमीकरण करने से पहले स्थानीय प्रशासन से प्रत्येक भवन के लिए तय कार्य स्थल हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पहले निविदा के अन्तिमीकरण करने के फलस्वरूप विलम्ब की अवधि में निधियों का अवरूद्धीकरण हुआ :

कम्पनी ने 45 गोदामों के निर्माण हेतु स्थल उपलब्धता के बिना ही निविदाओं का अन्तिमीकरण किया जिसके फलस्वरूप कार्य विलम्ब से आरंभ हुआ

- नमूना जाँच के लिए चयनित पाँच पी0आई0यू0 के 75 प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों में से ₹ 122.16 करोड़ मूल्य के 45 गोदामों के निविदा का अन्तिमीकरण बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किए किया गया जो अन्तिम रूप से निविदा के अन्तिमीकरण के एक से 18 महीने[25] बाद मिला।
- दूसरे मामलों में स्थानीय प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं करने के कारण ₹ 22.12 करोड़ मूल्य के आठ गोदामों के निमार्ण का कार्य निविदा दिए जाने के (जनवरी 2015 से सितम्बर 2016) नौ से 26 महीने विलम्ब के बाद भी प्रारंभ नहीं हो सका।

भ0नि0वि0 (नवम्बर 2017) ने लेखापरीक्षा परिणाम को स्वीकार कर लिया।

अनुशंसा

कम्पनी को क्रियान्वयन के लिए निविदा आमंत्रण करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

परियोजना कार्यान्वयन

विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन के लिए उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जाना

2.1.22 कम्पनी कार्यों का कार्यान्वयन उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा दिए गए प्रशासनिक अनुमोदन, जो परियोजना की सम्पूर्ण लागत को परिभाषित करती है, के आधार पर करती है। कम्पनी किए गए कार्यों के लिए सेन्टेज की हकदार है। इस प्रकार, लागत सीमा के अतिरिक्त समय सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए ताकि कम्पनी के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया जा सकें।

[25] एक से छः महीना – 25; 6 से 12 महीने तक – 14; 12 से 18 महीने तक – 6।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपयोगकर्त्ता विभागों के द्वारा 538 गोदामों के निर्माण के लिए ₹ 1,045.86 करोड़ एवं 201 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के लिए ₹ 656.87 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन बिना कार्य समाप्ति के समय सीमा को निर्धारित करते हुए प्रदान किया गया। इस प्रकार, उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में कम्पनी का उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया गया।

अनुशंसा

उपयोगकर्त्ता विभागों/सरकार को प्रत्येक कार्य के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के समय समयावधि निर्धारित करनी चाहिए।

संविदा देने के बाद एकरारनामा निष्पादन में विलम्ब

2.1.23 सरकारी आदेश (नवम्बर 2013) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदा के अन्तिमीकरण से सात दिनों के अन्दर, संबंधित संवेदक से, प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को एकरारनामा का निष्पादन कर लेना चाहिए।

अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि अक्टुबर 2012 से मार्च 2017 के बीच नमूना जाँच के लिए चयनित पाँच पी0आई0यू0 में किए गए 699 एकरारनामा में से 343 एकरारनामा (कुल का 49 प्रतिशत) निविदा के अन्तिमीकरण के बाद एक से 21 महीनों के विलम्ब से किया गया जिसे तालिका सं0 2.1.5 में दिखाया गया है :

तालिका सं0 : 2.1.5 एकरारनामें में विलम्ब को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(संख्या में)

क्रम सं0	विलम्ब की अवधि (महीना में)	पी0एच0सी0 का सी0एच0सी0 में उन्नयन	गोदामों का निर्माण	अन्य[26]	विलम्ब का मुख्य कारण
1	एक से छः	82	139	75	संवेदकों द्वारा विलम्ब एवं चिह्नित भूमि में अवरोध
2	सात से 12	3	16	4	चिह्नित भूमि में अवरोध
3	12 से अधिक	—	23	1	भूमि उपलब्ध नही होना
कुल		**85**	**178**	**80**	

लेखापरीक्षा में देखा गया कि संबंधित पी0आई0यू0 को स्थानीय प्रशासन के समन्वय से चिह्नित भूमि में बाधाओं को दूर करना सुनिश्चित करना चाहिए था एवं कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित करने से पहले प्राधिकारियों से भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना चाहिए था। तथापि संबंधित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों के उप महाप्रबंधकों द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप एकरारनामें में विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, एकरारनामें के निष्पादन में विलम्ब के कारण इन सभी कार्यों के प्रारम्भ होने के तिथि एवं समाप्त होने की संभावित तिथि में विलम्ब हुआ एवं कार्यों के वांछित लाभों को समय पर नहीं पाया जा सका। इसके अतिरिक्त, बाधा रहित स्थल को सुनिश्चित किए बिना निविदा का आमंत्रण एवं अन्तिमीकरण बि0लो0नि0वि0 कोड के नियम 109 का भी उल्लंघन था।

भ0नि0वि0 ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

[26] एयर पोर्ट रनवे, महाविद्यालयो, छात्रावासो, स्थलो/पार्कों का सौन्दर्यीकरण, न्यायालय भवन, इत्यादि का निर्माण।

अनुशंसा

कम्पनी को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व बाधा रहित स्थल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।

एकरारनामा में वर्णित समय सीमा के अनुसार कार्य समाप्ति में विलम्ब

2.1.24 कम्पनी विभिन्न उपयोगकर्त्ता विभागों/लोक उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कार्यों को क्रियान्वित करती है। इस प्रकार कुशल एवं दक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए भवनों को समय पर बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनका उपयोग किया जा सकें। कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि संवेदक के साथ किए गए एकरारनामों में भी परिभाषित रहती है। 2012–2017 के दौरान, कम्पनी ने 1,119 कार्यों को कार्यान्वित किया।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि :

- पूर्ण किए गए 861 कार्यों (मार्च 2017 तक) में से 332[27] (38.56 प्रतिशत), कार्य एकरारनामें के अनुसार कार्य समाप्त करने की निर्धारित तिथि से एक से 33 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुआ। इन 332 कार्यों में से, 94 (28.31 प्रतिशत) कार्य एक या उससे अधिक वर्षों के विलम्ब से पूर्ण हुआ। विलम्ब का मुख्य कारण संवेदकों के द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, स्थानीय बाधाएँ/रूकावटें, डिजाइन के अन्तिमीकरण में विलम्ब, वर्षा ऋतु में जल जमाव, स्थानीय प्रशासन/भूमि के प्राधिकारी से समन्वय नहीं करना, संबंधित पी0आई0यू0 के अधिकारियों[28] द्वारा उपयोगकर्त्ता विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में विलम्ब, इत्यादि थे।
- 258 कार्य (मार्च 2017 तक) प्रगति में थे, जिसमें 163 कार्य[29] (63.18 प्रतिशत) कार्य समाप्ति के निर्धारित तिथि से एक से 36 महीनों तक, उपर्युक्त वर्णित कारणों से विलंबित थे।

उपर्युक्त बताए गए कार्यों के पूर्ण होने में एक से 36 महीनों के विलम्ब के फलस्वरूप :

- 6,82,950 एम0टी0 के भण्डारण क्षमता के 326 गोदामों (215 पूर्ण एवं 111 अपूर्ण) के उपयोग में विलम्ब हुआ, जिसके फलस्वरूप खा0उ0सं0 विभाग, बिहार सरकार के प्रशासी नियंत्रण के अन्तर्गत लोक उपक्रम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के द्वारा 2014–2017 की अवधि में किराए के गोदामों पर ₹ 9.72 करोड़[30] के परिहार्य किराए का भुगतान किया गया।
- 86 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (75 पूर्ण एवं 11 अपूर्ण) के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति भी एक से 36 महीनों तक विलम्बित रही।
- 83 अन्य कार्यों (42 पूर्ण एवं 41 अपूर्ण) के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण इन कार्यों से वांछित फल के प्राप्ति में विलम्ब हुआ।

---

[27] 215 गोदामों, 75 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 42 अन्य कार्यों (स्टेडियमों, डी0सी0एल0आर0 कोर्ट, ए0डी0आर0 भवन, पशु चिकित्सालय, एयरपोर्ट लाउन्ज, प्रयोगशाला, ऐतिहासिक स्थानों का विकास इत्यादि)।

[28] उप महाप्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों एवं कनीय अभियंताओं।

[29] 111गोदामों, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 41 अन्य कार्य।

[30] संबंधित वर्षों में बनाए गए गोदामों के क्षमता के लिए वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में किराया के औसत दर क्रमश: ₹ 14.02 एवं ₹ 15.85 प्रति एम0टी0 प्रति महीना के आधार पर आकलित की गई है। वर्ष 2016–17 की गणना, किराए पर लिए गए वास्तविक गोदामों (निर्मित क्षमता से कम होने के कारण) के आधार पर की गई है तथा 2015–16 का ही दर लिया गया है क्योंकि 2016–17 का कोई भी औपबंधिक दर कम्पनी के पास उपलब्ध नही था।

गायघाट, मुजफ्फरपुर के दो अपूर्ण 5000 एम0टी0 के प्री–फेब्रिकेटेड गोदामों (सितम्बर 2015 में निर्माण प्रारंभ किया गया एवं जून 2016 में पूरा होने की नियत तिथि) का छायाचित्र निम्न है :

छायाचित्र सं0 : 2.1.2

06.05.2017 की छायाचित्र

भ0नि0वि0 ने अपने जवाब (नवम्बर 2017) में कहा कि विभिन्न कारणों से जैसे अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने में विलम्ब, चिह्नित भूमि में बदलाव, स्थानीय बाधाएँ, संवेदकों के दोष इत्यादि के कारण निर्माण कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूरा नहीं किया जा सका एवं निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए उपाय किए जा रहे है।

अनुशंसा

कम्पनी को संवेदकों के कार्य निष्पादन के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करना चाहिए एवं सभी विलंबित योजनाओं के बाधाओं, अगर कोई है, को दूर करके, प्राथमिकता से पूर्ण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

पूर्ण किए गए कार्यों को उपयोगकर्त्ता विभागों को विलम्ब से हस्तान्तरण करने के कारण आधारभूत संरचना के उपयोग में विलम्ब

2.1.25 परियोजनाओं के ससमय उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि योजनाओं के पूर्ण होने के बाद इसे तुरंत संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए।

पाँच पी0आई0यू0 के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि हस्तान्तरित किए गए 375 कार्यों में से 161 कार्यों[31] जिन पर कुल व्यय ₹ 257.90 करोड़ था, को उपयोगकर्त्ता विभागों को कार्य पूर्ण होनें के एक से 30 महीनों के विलम्ब से हस्तांतरित किया गया।

₹ 72.74 करोड़ के व्ययोपरान्त 42 कार्यों को तीन से 37 महीनों के विलंब के बाद भी हस्तांतरित नहीं किया गया था

इसके अतिरिक्त ₹ 72.74 करोड़ के व्यय से पूर्ण 42 कार्यों[32] (मार्च 2017) को तीन से 37 महीनों के बीत जाने के बावजूद भी हस्तांतरित नहीं किया गया था। विलम्ब का मुख्य कारण कम्पनी के अधिकारियों[33] द्वारा हस्तांतरण एवं उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा कब्जा ग्रहण करने के प्रयास में कमी थी। इसके परिणाम स्वरूप :

[31] खा0उ0सं0 विभाग का 84 गोदाम, स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के 40 कार्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नौ पशु चिकित्सालय, समाज कल्याण विभाग के 50 शयनकक्ष वाले सात बाल सुधार गृह एवं 21 अन्य कार्य।

[32] खा0उ0सं0 विभाग बिहार सरकार के छः गोदाम, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के छः कार्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के छः पशु चिकित्सालय, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार के छः प्रेस क्लबों एवं 18 अन्य कार्य।

[33] संबंधित पी0आई0यू0 के उप महाप्रबंधक।

- 1,14,500 एम0टी0 क्षमता के 90 गोदामों[34] के उपयोग न होने/विलम्बित उपयोग के कारण 2014–17 में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्त्ति निगम लिमिटेड को किराए पर लिए गए गोदामों के लिए ₹ 76.95 लाख रूपये[35] के किराए का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।
- 46 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों[36] के अनुपयोगी रहने/विलम्ब से उपयोग करने के कारण उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ एक से 22 महीनों तक विलम्बित हुआ।
- दो पूर्ण आवासीय विद्यालयों का विलम्बित उपयोग हुआ एवं अन्य पूर्ण कार्यों के वांछित लाभ से एक से 37 महीनों तक वंचित होना पड़ा।

भ0नि0वि0 ने अपने जवाब (नवम्बर 2017) में कहा कि कब्जा ग्रहण करने का प्रस्ताव संबंधित प्राधिकारी को समय पर भेज दिया गया था लेकिन उन्होंने कब्जा ग्रहण करने में विलम्ब किया था। इस विषय पर उपयुक्त स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई की गई एवं सभी संबंधित विभागों से सम्पर्क किया गया है। फिर भी तथ्य यही है कि उपर्युक्त भवनों का उपयोग या तो नहीं किया गया था या विलम्ब से किया गया।

अनुशंसा

निर्मित किए संरचना के त्वरित उपयोग के लिए कम्पनी द्वारा समय पर हस्तांतरण एवं उपयोगकर्त्ता विभागों द्वारा समय पर कब्जा ग्रहण करना सुनिश्चित करना चाहिए।

किशनगंज में कृषि महाविद्यालय के निर्माण में संवेदक को अधिक भुगतान

2.1.26 किशनगंज में कृषि महाविद्यालय (प्राक्कलित राशि ₹ 593.10 करोड़) के निर्माण के लिए किए गए करार (दिसम्बर 2013) के उपवाक्य 12.2 के अनुसार बदले गए मद[37] के दर की गणना बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी।

कंपनी द्वारा बदले गए मद के दर निर्धारण हेतु, समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के कारण, संवेदक को ₹ 3.39 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य के कार्यान्वयन के समय संवेदक ने मई 2017 तक 51,119.29 घन मीटर (घन मी0) के नियत कार्य को मिट्टी के ईंट के बदले फ्लाई ऐश ईंट से किया। बिहार एस0ओ0आर0 के आधार पर फ्लाई ऐश ईंट से किए गए ईंट कार्य के स्थानीय बाजार दर से मूल्य निकालने के बदले कम्पनी ने संवेदक को दिल्ली एस0ओ0आर0 के आधार पर भुगतान किया जो बिहार एस0ओ0आर0 से ज्यादा था। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी के भुगतान की जाँच एवं अनुमोदन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों[38] द्वारा संवेदक को ₹ 3.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति का जवाब देते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि बिहार एस0ओ0आर0 2013 में फ्लाई ऐश ईंट के कार्य का दर उपलब्ध नहीं था। जवाब भ्रामक एवं गलत है क्योंकि इन सभी मदों का दर बिहार एस0ओ0आर0 में उपलब्ध है एवं दिल्ली एस0ओ0आर0 के बदले इसे अंगीकृत किया जाना चाहिए था।

---

[34] 84 हस्तान्तरित एवं छः अहस्तांतरित।

[35] वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए औसत दर क्रमशः ₹ 14.02 एवं ₹ 15.85 प्रति एम0टी0 प्रति महीना के आधार पर आकलित।

[36] 40 हस्तान्तरित एवं छः अहस्तांतरित।

[37] कुछ मदों के स्थानापन्न के लिए परिमाण विपत्र में सम्मिलित मदें।

[38] पी0आई0यू0 पूर्णियाँ के उप म0प्र0, स0म0प्र0 एवं कनीय अभि0।

अनुशंसा

कम्पनी को बिहार एस0ओ0आर0 के अनुसार श्रम एवं सामग्री के उपयुक्त दर को अंगीकृत करना चाहिए।

गिट्टी के ढुलाई में अधिक भुगतान

कंपनी ने गिट्टी की ढुलाई में ₹ 5.37 करोड़ का अधिक भुगतान किया

2.1.27 पी0आई0यू0 पूर्णिया एवं मुंगेर[39] द्वारा क्रियान्वित दो एकरारनामों में लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि भुगतान[40] के अनुमोदन एवं जाँच के लिए कम्पनी के संबंधित उत्तरदाई अधिकारियों ने संवेदकों को वास्तविक दूरी (संवेदको द्वारा समर्पित एम0 एण्ड एन0 फॉर्म[41] से व्यक्त) के बदले समझौते में वर्णित लम्बी दूरी (कार्य के लिए आवश्यक गिट्टी के स्रोत से) के दर से अनियमित भुगतान किया। इसके फलस्वरूप गिट्टी के ढुलाई में ₹ 5.37 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया जो तालिका सं0 – 2.1.6 में दर्शाया गया है :

तालिका सं0 : 2.1.6 गिट्टी के ढुलाई पर अत्यधिक भुगतान की विवरणी

कार्य का नाम	प्रयुक्त मात्रा घन मी0 में	परिमाण विपत्र में दूरी (कि0मी0)	भुगतान दर/प्रति घन मी0	वास्तविक दूरी (कि0मी0)	वास्तविक दूरी के अनुसार दर/घन मी0 (₹)	दर में अन्तर/घन मी0 (₹)	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)	(8)
कृषि महाविद्यालय, किशनगंज	35,621.50	207	2,451.15	103	1,291.51	1,159.64	**4.96**[42]
प्री–फेब्रिकेटेड गोदाम, मुंगेर	1,743.20	264	3,309.63	170	2,185.84	1,123.79	**0.20**
	1,023.24			90	1,229.17	2,080.46	**0.21**
कुल							**5.37**

लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि कार्य के अगले चालू विपत्रों में से अधिक भुगतान की राशि समायोजित कर ली जाएगी।

अनुशंसा

कम्पनी को अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए प्राक्कलन में ढुलाई के भुगतान के लिए सम्भावित न्यूनतम दूरी का आकलन करना चाहिए।

ढुलाई पर अनियमित भुगतान

2.1.28 एकरारनामें के अनुसार ऐसे संवेदकों को, जो कम्पनी के कार्यों को क्रियान्वित करते है, कच्चा माल जैसे स्टोन चिप्स एवं खुरदरा बालू, का क्रय कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट खादानों से करना आवश्यक है, जिसके लिए उन्हें ढुलाई मूल्य का भुगतान किया जाएगा। यह संवेदकों द्वारा समर्पित एम0 एण्ड एन0 फार्म से सत्यापित किया जाता है।

[39] कृषि महाविद्यालय, किशनगंज एवं मुंगेर जिला में 5,000 एम0टी0 के प्री–फेब्रिकेटेड गोदाम का निर्माण कार्य।

[40] संबंधित पीआई0यू0 के उप म0प्र0, स0म0प्र0, कनीय अभि0 एवं लेखापाल।

[41] फॉर्म एम लघु खनिज का अधिकृत खादान/विक्रेता से उठाव का संवेदक का प्रतिज्ञा पत्र है एवं फार्म एन0 में अधिकृत खदान/विक्रेता द्वारा निर्गत की गई सामग्री का विवरण रहता है।

[42] अत्यधिक भुगतान की गणना संविदा राशि पर (बी0ओ0क्यू0 से 20 % अधिक)

ढुलाई पर ₹ 50.43 करोड़ का भुगतान अनियमित रूप से बिना वास्तविक दूरी, जहाँ से सामग्रियों को लाया गया है, के सत्यापन के किया गया

358 मामलों के अभिलेखों के लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि संवेदकों ने 1,55,090 घन मी0 गिट्टी एवं 1,26,654 घन मी0 खुरदरा बालू के ढुलाई के लिए एम0 एण्ड एन0 फॉर्म कम्पनी को समर्पित नहीं किया था। इसके बावजूद कम्पनी के संबंधित अधिकरियों[43] ने एम0 एण्ड एन0 फॉर्म सुनिश्चित किए बिना ही संवेदकों को ₹ 50.43 करोड़ (स्टोन चिप्स पर ₹ 31.46 करोड़ एवं खुरदरा बालू पर ₹ 18.97 करोड़) के भुगतान की प्रक्रिया चलाई एवं अनुमोदन किया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए भ0नि0वि0 (नवम्बर 2017) ने कहा कि सभी पी0आई0यू0 को निर्देर्शित किया गया है कि संवेदकों को फॉर्म एम0 एण्ड एन0 के सत्यापन के बाद ही भुगतान करें।

एकरारनामें के शर्त्त का उल्लंघन करते हुए कार्योत्तर समय विस्तार प्रदान करना एवं विलम्ब क्षतिपूर्ति को लौटाया जाना

2.1.29 कम्पनी द्वारा किए गए समझौतों के मानक उप वाक्यों के अनुसार परियोजनाओं में विलम्ब हेतु उत्तरदाई घटना घटित होने की तिथि से 14 दिनों के अन्दर संवेदक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन करना चाहिए। नमूना जाँच के लिए चयनित पाँच पी0 आई0 यू0 के अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि 177 विलंबित कार्यों में से 46 कार्यों में संवेदक ने कार्य पूर्ण होने के एक से 26 महीने बाद समय विस्तार माँगा जिसका मानक उप वाक्य का उल्लंघन करते हुए अनुमोदन किया गया। इसके फलस्वरूप कार्यान्वयन में विलम्ब के लिए कम्पनी द्वारा कटौती की गई विलम्ब क्षतिपूर्ति की ₹ 3.48 करोड़ की राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति का जवाब देते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि एकरारनामा प्रभारी अभियंता को संवेदक द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदन किए बिना भी उचित एवं तार्किक समय विस्तार की अनुमति देता है। चूँकि परियोजनाएँ पहले ही पूर्ण हो चुकी है एवं संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है इसलिए विलम्ब क्षतिपूर्त्ति की काटी गई राशि को विमुक्त किया गया।

भ0नि0वि0 का जवाब स्वीकार्य नहीं है। स्वतः समय विस्तार दिया जाने वाला उप वाक्य तभी लागू होता है जब विलम्ब के लिए उत्तरदायी संवेदक नहीं होता है। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति की गई सभी कार्यों में विलम्ब के लिए प्राथमिक रूप से संवेदक उत्तरदायी था। परिणामस्वरूप निर्दिष्ट समय के बाद समय विस्तार का अनुमोदन एवं ₹ 3.48 करोड़ के विलम्ब क्षतिपूर्त्ति की विमुक्ति अनधिकृत थी, जिससे संवेदक को अनुचित लाभ का विस्तार हुआ।

अनुशंसा

कम्पनी को एकरारनामें के अनुसार जब जरूरी हो तभी समय विस्तार प्रदान करना सुनिश्चित करना चाहिए।

विचलनों का बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनियमित भुगतान

2.1.30 बिहार लोक निर्माण विभाग कोड यह निर्धारित करता है कि परिणाम विपत्र की मदों में (कार्यान्वयन के समय कार्यान्वित मात्रा से प्राक्कलन की तुलना करने पर) 20 प्रतिशत से अधिक के विचलनों को उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने प्रेक्षित किया कि दो कार्यों,[44] जिनमें विचलन 25 प्रतिशत तथा प्राक्कलित मूल्य के 91 गुणा से अधिक था, का सम्बन्धित उप म0प्र0 द्वारा विचलनों को

[43] संबंधित पी0आई0यू0 के उप म0प्र0, स0म0प्र0, कनीय अभि0 एवं लेखापाल।
[44] गोदामों का निर्माण (गया एवं दरभंगा) एवं डा0 कलाम कृषि महाविद्यालय (किशनगंज) का निर्माण।

उपयोगकर्त्ता विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया, एवं उसके स्थान पर ₹ 63.10 करोड़ का (मई 2017 तक) अत्यधिक भुगतान संवेदक को किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति का जवाब देते हुए भ0नि0वि0 ने कहा (नवम्बर 2017) कि विचलन परामर्शी द्वारा अनुशंसित की गई थी एवं अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करा ली जाएगी। जवाब स्वीकार्य नहीं है। परामर्शी की अनुशंसा कम्पनी पर बाध्यकारी नहीं है और अतिरिक्त ₹ 63.10 करोड़ के भुगतान से पहले जाँच कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लेना आवश्यक था, जो इस मामले में नहीं हुआ।

अनुशंसा

कम्पनी को कार्य में विचलन की दशा में भुगतान करने से पहले हमेशा उपयोगकर्त्ता विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

लेखापरीक्षा का प्रभाव

लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

- कम्पनी, उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा विलंब से विमुक्त किए गए निधि के कारण स्वयं के निधि के परियोजना कार्यों में उपयोग के मामले में उपयोगकर्त्ता विभाग से ब्याज का दावा करने के लिए, सहमत हुआ है। यह उपयोगकर्त्ता विभाग द्वारा निधि को विलम्ब से प्रदान करने को हतोत्साहित करने वाला कदम होगा।
- कम्पनी ने क्रियान्वयन के पूर्व के विविध गतिविधियों के समय सीमा के निर्धारण के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के दिशा निर्देशों को अंगीकृत किया है।
- कम्पनी ने बाधा मुक्त भूमि मिलने के बाद निविदा आमंत्रण करने का संकल्प (नवम्बर 2017) लिया है।
- कम्पनी ने सभी पी0आई0यू0 को निर्देशित किया है कि एम0 एण्ड एन0 फॉर्म के सत्यापन के बाद ही संवेदकों के विपत्रों का भुगतान किया जाए साथ ही कम्पनी लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए अधिक भुगतान के वसूली के लिए भी सहमत हुआ है।

निष्कर्ष

- **पूर्ण कालिक प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति ने कम्पनी के निष्पादन को प्रभावित किया।**
- **कम्पनी के कार्य स्थल पर अनुश्रवण की प्रक्रिया में कमी थी। गुणवत्ता नियोजन प्रणाली, अदक्ष प्रयोगशाला तकनीशियनों की अनुपस्थिति के कारण अकुशल थी।**
- **वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण था क्योंकि कम्पनी द्वारा स्वयं के निधि के परियोजनाओं में उपयोग किए जाने पर उपयोगकर्त्ता विभाग से ब्याज का**

दावा नहीं किया गया। इसके अलावा अपने बैंक शेषों का विवेकपूर्वक विनियोग करने में असफल रहने के कारण कम्पनी को ₹ 6.11 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

- योजना प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि क्रियान्वयन के पूर्व के गतिविधियों के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था, डी0पी0आर0 एवं प्राक्कलन इत्यादि के निर्माण में कमियाँ पायी गयी थी। इसके परिणामस्वरूप कार्य के प्रारंभ होने में विलम्ब, बढ़ा हुआ प्राक्कलन, इत्यादि हुए। निविदा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी क्योंकि निविदाकर्त्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया गया, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य का प्रारंभ एवं अनियमित कार्य का आवंटन पाया गया।

- परियोजनाओं का कार्यान्वयन संतोषप्रद नहीं था क्योंकि दो या उससे अधिक वर्षों के समयावृद्धि की घटनाएँ, समझौतों में विलम्ब, अनियमित भुगतान, परिहार्य व्यय/अधिक भुगतान के साथ नियमों के पालन नहीं किया जाना, देखा गया। इसके अतिरिक्त संवेदकों को अनियमित समय विस्तार की घटनाएँ भी पाई गई। पूर्ण योजनाओं के हस्तांतरण में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।

2.2 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना के विकास पर लेखापरीक्षा

परिचय

2.2.1 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) का समामेलन जुलाई 2010 में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुआ था। कम्पनी शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभागों हेतु बिहार में सभी प्रकार की शैक्षणिक आधारभूत संरचना के निर्माण एवं संधारण में कार्यरत है। कम्पनी सभी परियोजनाओं का निष्पादन निजी संवेदकों द्वारा कराती है एवं अपनी सेवाएँ प्रदान करने हेतु सेन्टेज[1] शुल्क अधिभारित करती है।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में कार्यान्वित 60 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाओं (25 प्रतिशत) की संविक्षा की। इन 15 परियोजनाओं ने 3,534 कार्यों (60 परियोजनाओं द्वारा निष्पादन की गई 5,082 कार्यों का 70 प्रतिशत) का निष्पादन किया। लेखापरीक्षा ने इन 15 परियोजनाओं में से ₹ 1,061.72 करोड़ (60 परियोजनाओं पर व्यय की गई ₹ 3,617.06 करोड़ की राशि का 29 प्रतिशत) मूल्य की 1,413 कार्यों (3,534 कार्यों का 40 प्रतिशत) का नमूना जाँच किया।

कुल 12 लेखापरीक्षा प्रेक्षण है और इनमें से अधिकतर उस प्रकृति की है जो कम्पनी द्वारा निष्पादित अन्य कार्यों, जो नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं था, में समान त्रुटियों/चूकों को प्रतिबिंबित कर सकती है। अतएव आवश्यकता एवं नियमों के अनुसार परियोजनाओं का निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी के लिए यह श्रेयस्कर होगा कि वह स्वयं द्वारा निष्पादित की गई सभी कार्यों की आन्तरिक जाँच करा लें।

कम्पनी का प्रबन्धन निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें प्रबन्ध निदेशक के अलावा नौ अन्य निदेशक है। विकास आयुक्त, बिहार सरकार निदेशक मण्डल के पदेन अध्यक्ष है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है एवं कम्पनी के उद्देश्यों के कार्यान्वयन तथा कम्पनी के दिन–प्रतिदिन व्यवसाय हेतु उत्तरदायी है।

कम्पनी का कार्यकलाप तीन स्कंधों जैसे तकनीकी, प्रशासन एवं वित्त में विभक्त है। कम्पनी का संगठनात्मक आरेखण निम्नतः दर्शित है :

[1] जनवरी 2016 तक सेन्टेज शुल्क परियोजना लागत की नौ प्रतिशत की दर पर निर्धारित था। तथापि, सेन्टेज शुल्क की दर का पुनर्रीक्षण (23 जनवरी 2016) निम्नतः हुआ :

- (क) ₹ 10 करोड़ तक की परियोजना लागत हेतु = सात प्रतिशत
- (ख) ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं ₹ 100 करोड़ तक की परियोजना लागत हेतु = (क) + ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पर पाँच प्रतिशत की दर से।
- (ग) ₹ 100 करोड़ से अधिक की परियोजना लागत हेतु = (ख) + ₹ 100 करोड़ से अधिक राशि पर एक प्रतिशत की दर से।

कम्पनी का लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन एवं आँकलन करने हेतु किया गया था कि आधारभूत संरचना परियोजनाओं का निष्पादन, उचित नियोजन एवं वित्तीय औचित्य के सिद्धान्तों के अनुरूप, मितव्ययिता पूर्ण, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से किया गया था। कम्पनी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन बिहार लोक निर्माण विभाग (बि०लो०नि०वि०) संहिता के प्रावधानों, मानक बोली दस्तावेजों (एस०बी०डी०) एवं अन्य प्रयोज्य अधिनियमों के आधार पर हुआ था।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

2.2.2 लेखापरीक्षा ने स्तरीयकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति बिना प्रतिस्थापन[2], प्रणाली का प्रयोग कर कम्पनी द्वारा 2012–17 के दौरान निष्पादित 60 परियोजनाओं/योजनाओं में से, 15[3] परियोजनाओं/योजनाओं, जिसका कुल व्यय ₹ 2,654.30 करोड़ (अर्थात् ₹ 3,617.06 करोड के कुल व्यय का 73.38 प्रतिशत) था, के अभिलेखों की जाँच की।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में कम्पनी के अभिलेखों की जाँच परीक्षा, लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ/पृच्छा का निर्गमण एवं अपूर्ण/विलम्बित परियोजनाओं का संयुक्त भौतिक सत्यापन, इत्यादि शामिल था। प्रबन्धन/शिक्षा विभाग का मंतव्य भी प्रवेश एवं निकास सम्मेलन में प्राप्त किया गया था।

अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा के दौरान कम्पनी एवं इनके अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सहयोग व सहायता हेतु लेखापरीक्षा अभिस्वीकृति प्रकट करता है।

लेखापरीक्षा जाँच–परिणाम

2.2.3 लेखापरीक्षा जाँच–परिणाम की परिचर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

[2] स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति नमूनाकरण की एक विधि को इगित करता है जिसमें नमूना आबादी विशिष्ट मानदण्डों के अनुसार विभिन्न स्तरों अथवा समूहों में विभाजित की जाती है एवं प्रतिनिधित्व नमूनों को ज्ञात करने हेतु नमूनों का चयन बिना प्रतिस्थापन यादृच्छिक आधार पर किया जाता है।

[3] (1) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (एस०एस०एस०) योजना, (2) मॉडल स्कूल (एम०एस०) योजना, (3) उत्क्रमित मध्य विद्यालय (यू०एस०एस०) योजना, (4) बालिका छात्रावास (जी०एच०) योजना, (5) उच्च माध्यमिक विद्यालय (एच०एस०एस०) योजना, (6) चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान परियोजना (सी०आई०एम०पी०) (7) आई०सी०टी०@ विद्यालय योजना, (8) एस०एस०एस० अल्पसंख्यक (एस०एस०एस०एम०) योजना, (9) आवासीय विद्यालय, थारहुट, (10) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, (11) सैनिक स्कूल, नालन्दा (12) सैनिक स्कूल, गोपालगंज, (13) बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी०डी०पी०ओ०), (14) एल०एन०एम० महाविद्यालय बालिका छात्रावास, सभा भवन एवं आन्तरिक चित्रकारी एवं (15) राष्ट्रीय शिक्षा अभियान कार्यालय।

मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.4 कम्पनी के पिछले चार वर्षों की मानवशक्ति की संक्षिप्त स्थिति निम्नत: दर्शित है :

तालिका सं0 : 2.2.1 मानवशक्ति स्थिति

विवरण	स्वीकृत मानवशक्ति[4]	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017
प्रबन्ध निदेशक (एम0डी0)	1	1	1	1	1
महाप्रबन्धक (जी0एम0) (प्रशासन)	1	0	0	0	0
महाप्रबन्धक (योजना कार्यान्वयन)	1	1	1	1	1
महाप्रबन्धक (वित्त)	1	0	1	0	0
मुख्य अभियंता	1	0	1	1	1
मुख्य परामर्शी (तकनीकी)	1	0	0	1	1
अधीक्षण अभियंता	2	0	2	1	1
कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	14	11	13	13	13
सहायक अभियंता (असैनिक)	35	32	30	32	34
कनीय अभियंता (असैनिक)	160	134	140	151	146
अन्य कर्मचारी	80	41	44	41	35
कुल	**297**	**220**	**233**	**242**	**233**
मानवशक्ति की कमी (प्रतिशत में)		**25.93**	**21.55**	**18.52**	**21.55**

2013–17 अवधि के दौरान कम्पनी में मानवशक्ति की कमी का परास 18.52 प्रतिशत से 25. 93 प्रतिशत के मध्य था

महाप्रबंधक (प्रशासन) एवं महाप्रबंधक (वित्त) जैसे मुख्य पदों में रिक्तियाँ परियोजनाओं के स्तरहीन अनुश्रवण में फलित हुआ एवं प्रतिवेदन में विवरणित वित्तीय अनियमितताओं में परिलक्षित हुआ।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि प्रबन्ध निदेशक एवं महाप्रबंधक (प्रशासन)[5] ने एक ऐसे सहायक अभियंता की नियुक्ति (नवम्बर 2013) की थी जो निर्दिष्ट अहर्ता के मानदण्डों को पूर्ण नहीं करता था। लेखापरीक्षा प्रेक्षण का उत्तर देते हुए शिक्षा विभाग ने कहा (नवम्बर 2017) कि इस सम्बन्ध में यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की लेखापरीक्षा में यथा प्रेक्षणानुसार कम्पनी को कार्यपालक अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनीय अभियन्ता जैसे संवर्ग को सतत् जारी रखने हेतु आकलन करने की आवश्यकता है, विशेषकर जब कम्पनी स्वयं कोई कार्य का निष्पादन नहीं करती है और कम्पनी का मुख्य कार्य संविदा प्रबन्धन है।

अनुशंसा

1. **कम्पनी चूँकि स्वयं किसी कार्य का निष्पादन नहीं करती है, इस आलोक में राज्य सरकार एवं कम्पनी को वर्त्तमान मानव संसाधन व्यवस्था को सतत् लागू करने की आवश्यकता की समीक्षा करने की आवश्यकता है।**
2. **राज्य सरकार को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु सभी अनियमित नियुक्तियों की समीक्षा करनी चाहिए।**

[4] 297 की स्वीकृत मानवशक्ति के अतिरिक्त बिहार सरकार संयुक्त सचिव अथवा समान आला स्तर के अधिकारी की नियुक्ति मुख्य निगरानी अधिकारी के रूप मे करती है।

[5] महाप्रबन्धक (प्रशासन) के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन महाप्रबंधक (योजना कार्यान्वयन) द्वारा किया जा रहा था।

वित्तीय प्रबंधन

2.2.5 मार्च 2017 में समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के कम्पनी की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम नीचे दिये जा रहे हैं :

तालिका सं0 : 2.2.2 वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(₹करोड़ में)

वित्तीय स्थिति					
विवरण	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
प्रदत्त पूँजी	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
संचय एवं आधिक्य	39.81	68.66	111.26	181.60	204.55
गैर–चालू दायित्वें[6]	0.00	2,013.78	2,766.97	3,109.60	3,840.52
चालू दायित्वें एवं प्रावधानें	1,235.64	58.82	154.56	299.93	360.57
कुल	**1,295.45**	**2,161.26**	**3,052.79**	**3,611.13**	**4,425.64**
शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ	0.12	0.29	0.36	0.48	0.33
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	2.51	1.84	1.48
अन्य गैर–चालू सम्पत्तियाँ	11.67	22.30	48.91	76.12	88.01
चालू सम्पत्तियाँ[7]	1,283.66	2,138.67	3,001.01	3,532.69	4,335.82
कुल	**1,295.45**	**2,161.26**	**3,052.79**	**3,611.13**	**4,425.64**
कार्यकारी परिणाम					
कुल आय	12.14	40.32	90.20	102.56	59.03
कुल व्यय	6.90	11.47	17.57	32.05	36.08
असाधारण मदें	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	5.24	28.85	46.13	70.51	22.96
घटे : पूर्वावधि समायोजन एवं कर	–	–	–	–	–
शुद्ध लाभ/(हानि) कर के बाद	5.24	28.85	46.13	70.51	22.96
अर्जित सेन्टेज शुल्क	9.72	35.35	83.34	98.95	52.50
सेन्टेज शुल्क, कुल आय के प्रतिशत में	80.06	87.67	92.39	96.48	88.94
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)[8]	8.76	32.54	35.14	34.98	10.22

2016–17 में आय एवं शुद्ध लाभ में घटोत्तरी मुख्यतः कार्यों का धीमा निष्पादन एवं जनवरी 2016 के प्रभाव से सेन्टेज की दर में कमी जैसे कारणों से था।

निधियों का उपयोग

2.2.6 2012–13 से 2016–17 की अवधि के दौरान उपयोगकर्त्ता विभागों से प्राप्त निधियाँ एवं उनके उपयोग की विवरणी निम्न तालिका में दी गई है :

---

[6] गैर–चालू दायित्व मद में उपयोगकर्त्ता विभाग से प्राप्त निधि एवं उस पर अर्जित ब्याज निधि सहित, अग्रिम धन जमा एवं जब्त की गई, निष्पादन बैंक गारण्टी यदि कोई हो, शामिल है।

[7] चालू सम्पत्तियों मद में प्राप्त की गई निधि के विरूद्ध निर्माण कार्य की कार्य–प्रगति शामिल है।

[8] अंश पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल, निवेश पर प्रतिफल के समान थी चूँकि दीर्घ–कालिक ऋण, संचित हानियाँ एवं स्थगित राजस्व व्यय की कोई राशि मौजूद नही थी। अग्रेत्तर कर पूर्व एवं करोपरान्त लाभ भी बराबर था।

तालिका सं0 : 2.2.3 निधियों की प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	उपयोग की गई निधि	वर्ष के दौरान प्रत्यर्पित की गई राशि	अन्त शेष	उपयोगिता की प्रतिशतता (%)
(1)	(2)	(3)	(4) =(2+3)	(5)	(6)	(7) =(4–5–6)	(8) =(5×100)/4
2012–13	503.87	818.62	1,322.49	117.99	6.13	1,198.37	8.92
2013–14	1,198.37	611.08	1,809.45	426.35	2.79	1,380.31	23.56
2014–15	1,380.31	682.74	2,063.05	1,009.32	9.93	1,043.80	48.92
2015–16	1,043.80	602.34	1,646.14	1,259.51	55.36	331.27	76.51
2016–17	331.27	716.06	1,047.33	802.46	5.65	239.22	76.62
कुल		**3,430.84**		**3,615.63**	**79.86**		

कम्पनी ने ₹ 79.86 करोड़ की राशि प्रशासी विभाग (शिक्षा विभाग) को प्रत्यर्पित कर दिया जिसमें से ₹ 55.36 करोड़ की राशि कम्पनी द्वारा विभागीय आदेश से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत शौचालय एवं विद्यालयों के उन्नयन कार्य में उनके द्वारा प्रयोग हेतु प्रत्यर्पित किया गया था।

अन्य प्रेक्षण

(1) कम्पनी ने ₹ 232.56 करोड़ की स्वयं की निधियों का उपयोग विभिन्न योजनाओं हेतु किया जिसमें मात्र ₹ 150.47 करोड़ की राशि का समायोजन उपयोगकर्त्ता विभागों से किया गया था एवं शेष ₹ 82.09 करोड़ की राशि 13 से 650 दिनों[9] (मार्च 2017) की परास अवधि से असमायोजित पड़ी हुई थी। इसके फलस्वरूप, कम्पनी को ₹ 6.97[10] करोड़ की ब्याज से आय की हानि वहन करना पड़ा।

ऑटो स्वीप सुविधा से जुड़ी बचत बैंक खाताओं में आधिक्य निधियों को रखने में विफलता के फलस्वरूप ₹ 62.30 करोड़ की ब्याज की हानि हुई

(2) 2012–17 की अवधि के दौरान कम्पनी ने ₹ 293.84 करोड़ से ₹ 866.32 करोड़ की आधिक्य परियोजना निधि बिना ऑटो स्वीप सुविधा वाली 60 बैंक खाताओं में जमा रखा जिसके फलस्वरूप परियोजना निधियों को ₹ 62.30 करोड़[11] राशि की हानि वहन करनी पड़ी।

(3) कम्पनी के वित्त विभाग के महाप्रबन्धक (वित्त) सह वरीय लेखा अधिकारी ने 11 मामलों में पाँच अभिकरणों[12] को ₹ 7.02 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया जिनका अनुरोध कार्यारम्भ की तिथि से 34 से 209 दिनों के व्यतीत होने के उपरांत किया गया था जो एस0बी0डी0 के प्रावधान, संवेदक द्वारा कार्यारम्भ के 30 दिन के अन्तर्गत संवेदक के अनुरोध पर मोबिलाईजेशन अग्रिम प्रदान करने, के विरूद्ध था।

(4) कम्पनी के महाप्रबन्धक (वित्त) सह वरीय लेखा अधिकारी निर्धारित समयावधि, वस्तुतः जिस महीने का सेवा कर देय था, के अगले महीने में कर जमा सुनिश्चित करने में विफल रहे। कम्पनी ने अप्रैल 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि के दौरान संवेदकों

[9] 2015–16 में ₹ 78.50 करोड़ की राशि 13 से 285 दिनों तक असमायोजित रही जो निरन्तरतः (कुछ व्ययों सहित) बढ़कर ₹ 82.09 करोड़ तक 2016–17 में 60 से 365 दिनों तक असमायोजित रही।

[10] ऑटो स्वीप सुविधा से जुड़े बचत बैंक खाते की ब्याज दर के आधार पर गणना की गई है।

[11] उस अवधि के दौरान जब आधिक्य निधि उपलब्ध थी, हेतु अन्तर दर (6.5–4) 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर गणना की गई।

[12] मे0 डेल्को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस लिमिटेड, मे0 जिन्दल मेकटेक प्राईवेट लिमिटेड, मे0 लॉयड इन्सुलेशन्स (इंडिया) लिमिटेड, मे0 अनोज इन्टरप्राईजेज एवं मे0 दिलीप कुमार शर्मा।

सेवाकर के भुगतान में विलम्ब के फलस्वरूप ₹ एक करोड़ के अनुचित दायित्व का सृजन हुआ

से ₹ 7.36 करोड़ की राशि का सेवा कर संग्रहण किया जिसे निर्धारित भुगतान की तिथि से एक से 18 महीनों के विलम्ब से जमा (नवम्बर 2016) किया गया। सेवा कर के भुगतान में विलम्ब के फलस्वरूप कम्पनी को, यदि सेवा कर विभाग दण्ड भारित करती है, कथित अवधि हेतु भुगतेय ब्याज के मद में एक करोड़ रुपये की राशि की अनुचित देयता का वहन करना पड़ सकता है।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2017) कि कम्पनी दिसम्बर 2016 से नियमित रूप में सेवा कर का भुगतान कर रही है।

अनुशंसा

कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन, ऑटो स्वीप सुविधाओं का इस्तेमाल (बचत बैंक खातों में जमा करने की जगह) और करों का समय पर भुगतान कर कम्पनी को अपने निधि प्रबंधन में तत्परता दिखानी चाहिए।

आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली

गुणवत्ता नियंत्रण

2.2.7 कम्पनी की आन्तरिक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में स्टील, मोर्टार एवं सीमेंट की रसायनिक विश्लेषण की जाँच हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तथापि कम्पनी द्वारा निष्पादित की गई विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण की गुणवत्ता निर्धारण हेतु यह अति आवश्यक था।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का जवाब देते हुए, शिक्षा विभाग ने कहा (नवम्बर 2017) कि प्रतिष्ठित उत्पादक से प्राप्त स्टील एवं आई0एस0आई0 मानक वाले सीमेन्ट का उपयोग निर्माण कार्य में हुआ था। जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि ऐसा कोई अभिलेख मौजूद नहीं है जो यह इंगित कर सके कि कम्पनी के अधिकारीगण ने भौतिक सत्यापन अथवा निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों के विपत्रों की संवीक्षा के द्वारा यह सुनिश्चित किया कि केवल निर्दिष्ट विशिष्टीकरण युक्त सामग्रियों का प्रयोग ही किया गया था।

अनुशंसा

अपनी निर्माण परियोजनाओं में निर्दिष्ट गुणवत्ता युक्त सामग्रियों के प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु कम्पनी को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

2.2.8 कम्पनी के पास अपना कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है। कंडिका 2.2.17 एवं कंडिका 2.2.20 में लेखापरीक्षा जाँच–परिणाम पर की गई परिचर्चा से यह इंगित होता है कि कम्पनी की आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। प्रशासी विभाग भी अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में विफल रहा जैसा कि इस तथ्य से विदित होता है कि मार्च 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा समर्पित 34 मासिक प्रगति प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

ससमय त्रुटियों की पहचान एवं सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की स्थापना शीघ्र किया जाना चाहिए।

परियोजना प्रबंधन

2.2.9 योजना

लेखापरीक्षा में यथा प्रेक्षित प्राक्कलन तैयार करने में दोषपूर्ण नियोजन के दृष्टांतों पर परिचर्चा नीचे की गई है :

कार्य–स्थल से संबंधित स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त किए बिना निविदा का अन्तिमीकरण

2.2.10 बि0लो0नि0वि0 कोड यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संबंधी विस्तृत डिजाईन एवं प्राक्कलन के अन्तिमीकरण से पूर्व स्थानीय प्रशासन से ससमय अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन0ओ0सी0) प्राप्त कर प्रत्येक भवन हेतु कार्य स्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है।

विवाद रहित भूमि की अनुपलब्धता के कारण ₹ 249.68 करोड़ राशि के 240 कार्यों को आरम्भ नहीं किया जा सका

अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि निविदा आमंत्रण करने से पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण, कार्य स्थल सर्वेक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र के द्वारा विवाद रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कम्पनी के अधिकारीगण[13] विफल रहे। परिणामस्वरूप, सात योजनाओं[14] से संबंधित 240 कार्य, जिसकी कुल स्वीकृत राशि ₹ 249.68 करोड़ थी, का कार्यारम्भ विवाद रहित भूमि की अनुपलब्धता के कारण 16 से 73 महीनों (नवम्बर 2017) तक नहीं किया जा सका एवं इन कार्यों हेतु चिह्नित निधियों का विचलन अन्य कार्यों हेतु हुआ।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

शिक्षा विभाग एवं कम्पनी को स्थानीय प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही डिजाईन एवं कार्य प्राक्कलन का अन्तिमीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

मॉडल स्कूल योजना

प्राक्कलन में फर्नीचर हेतु प्रावधान नहीं करने व अन्य कारणों के कारण मेधावी ग्रामीण विद्यार्थियों को 368 विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित होना पड़ा

2.2.11 शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मेधावी ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार में शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में 368 मॉडल स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव (मार्च 2012) किया।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि प्राक्कलन तैयार करते समय कम्पनी के अधिकारी[15] फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं (वस्तुतः खुला नाटकशाला, बास्केटबॉल अथवा वॉली–बॉल कोर्ट) के मद में प्राक्कलन लागत को शामिल करने में विफल रहे एवं 368 मॉडल स्कूल में से 353 मॉडल स्कूल के निर्माण हेतु निविदाओं को अन्तिमीकृत (अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2014) कर दिया। विवाद रहित स्थल की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी शेष 15 मॉडल स्कूल हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं कर सकी।

---

[13] प्रबन्ध निदेशक, महाप्रबन्धक (प्रशासन) एवं मुख्य अभियंता (तकनीकी)।

[14] यू0एस0एस0, एस0एस0एस0, एस0एस0एस0एम0, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एम0एस0, एच0एस0एस0 एवं जी0एच0 योजना।

[15] प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य अभियंता (तकनीकी)।

353 मॉडल स्कूलों में से कम्पनी ने ₹ 555.69 करोड़ की लागत पर 297[16] मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य सम्पन्न (दिसम्बर 2015) किया। स्थल की अनुपलब्धता के कारण शेष 56 स्कूल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। तथापि, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण 297 पूर्ण विद्यालयों में से कोई भी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने अग्रेत्तर प्रेक्षण किया कि शिक्षा विभाग के साथ–साथ बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् (बि0मा0शि0परि0)[17] भी कम्पनी द्वारा तैयार की गई प्राक्कलन में फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं के समावेश नहीं होने सम्बन्धी कमी की पहचान करने में विफल रहा। कम्पनी द्वारा पूर्ण किए गए 297 मॉडल स्कूल हेतु फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं के क्रय हेतु राज्य सरकार से निधि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव सितम्बर 2016 में किया गया तथा यह राशि राज्य सरकार द्वारा अभी तक (दिसम्बर 2017) विमुक्त नहीं की गई है।

परिणामस्वरूप 15 विद्यालयों के निर्माण नहीं होने, 56 विद्यालयों में विवाद–मुक्त स्थल की अनुपलब्धता एवं 297 पूर्ण मॉडल स्कूलों के प्राक्कलन में फर्नीचर एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान नहीं होने के कारण मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत मेधावी ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के निहित उद्देश्य से वंचित होना पड़ा।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (नवम्बर 2017) कि फर्नीचर के क्रय हेतु एक नई निविदा आमंत्रित (मई 2017) की गई थी। तथापि, जवाब कम्पनी द्वारा दोषपूर्ण तरीके से प्राक्कलन तैयार करने के मुद्दे पर मौन था।

अनुशंसा

कम्पनी को तकनीकी स्कंध के अन्तर्गत प्राक्कलनों की संवीक्षा हेतु एक समर्पित स्कंध के गठन पर विचार करना चाहिए।

₹ 10.04 करोड़ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ नहीं उठाना

2.2.12 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की अधिसूचना (अगस्त 1995) के अनुसार विश्व बैंक सहित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रयुक्त स्टील एवं सीमेन्ट को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट प्राप्त नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 10.04 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि विश्व बैंक पोषित चार[18] परियोजनाओं के परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) एवं प्राक्कलन के अनुमोदन करते समय मुख्य अभियन्ता (तकनीकी) द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छूट को संज्ञान में लेने में विफल रहने के कारण नवम्बर 2017 तक ₹ 10.04 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

राज्य सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के छूट आदेश को पुनः दोहराते हुए एक आदेश निर्गत कर सकती है।

---

[16] 216 पूर्ण निर्मित मॉडल स्कूल एवं वैसे 81 मॉडल स्कूल जिसे प्रथम तल स्तर पर पूर्ण कर अग्रेत्तर निर्माण स्थगित करने का निर्णय (दिसम्बर 2015) लिया गया था।

[17] बि0मा0शि0परि0 जो सोसायटी निबंधन अधिनियम (21), 1860 के अन्तर्गत निबंधित एक सोसायटी है, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कार्य करती है एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मॉडल स्कूल परियोजना हेतु नोडल एजेन्सी है।

[18] जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रखण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय।

परियोजना कार्यान्वयन

परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.2.13 2012–17 की अवधि के दौरान कम्पनी ने 60 परियोजनाओं/योजनाओं का कार्य शुरू किया जिसमें ₹ 6,196.61 करोड़ का 5,082 कार्य सम्मिलित था एवं मार्च 2017 तक ₹ 3,617.06 करोड़ (58.37 प्रतिशत) की राशि व्यय हुई थी। परियोजनाओं/योजनाओं की वित्तीय स्थिति की विवरणी ***परिशिष्ट–2.2.1*** में दी गई है।

इन परियोजनाओं के निष्पादन में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कमियों का प्रेक्षण किया जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

संवेदक के चयन होने के उपरान्त प्रमाण–पत्र का प्रस्तुतीकरण

2.2.14 एस0बी0डी0, अन्य बातों के साथ, यह प्रावधानित करता है कि निविदा भरते समय निविदाकर्त्ता को स्वयं अथवा उनके उप संवेदक द्वारा निष्पादित किया गया विद्युत/सैनिटरी कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र समर्पित करना आवश्यक होगा।

कम्पनी की निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के अभाव के फलस्वरूप अनुचित रूप से कार्य आदेश प्रदान किया गया

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि सैनिक स्कूल, नालन्दा के सम्बन्ध में एक निविदाकर्त्ता[19] ने निविदा समर्पित करते समय आवश्यक विद्युत/सैनिटरी कार्यानुभव प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित किया था। तथापि, कम्पनी की तकनीकी समिति[20] ने तकनीकी मूल्यांकन के समय इस निविदाकर्त्ता की बोली को रद्द नहीं किया एवं इसे तकनीकी रूप से योग्य करार दिया। वित्तीय मूल्यांकन के समय निविदाकर्त्ता एल0–1 पार्टी उभर कर आई तथा उसे ₹ 30.64 करोड़ की अनुबन्ध लागत पर कार्य प्रदान (सितम्बर 2011) किया गया। उपरोक्त आवश्यक प्रमाण–पत्र वित्तीय बोलियों के खोलने के उपरान्त प्राप्त किए गए थे जो निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता मापदण्ड के विरूद्ध था।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2017) कि यद्यपि विद्युत/सैनिटरी कार्यानुभव प्रमाण–पत्र समर्पित करने की आवश्यकता का उल्लेख एस0बी0डी0 में था तथापि इसका प्रावधान ई–निविदा की तकनीकी मूल्यांकन फर्मा में नहीं किया गया था तथा तकनीकी समिति फर्मा के आधार पर समर्पित प्रलेखों की जाँच तक ही सीमित रही। तथापि, एस0बी0डी0 के अनुसार फर्मा के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएगें।

विभाग का जवाब लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि करता है।

निविदा के मूल्यांकन की अनुचित पद्धति

2.2.15 एस0बी0डी0 यह निर्दिष्ट करता है कि निविदाकर्त्ता, जो न्यूनतम् अहर्ता मापदण्ड पूर्ण करते है, केवल तभी योग्य समझे जाएगें जब उनकी निर्धारित उपलब्ध बोली क्षमता (बिड क्षमता)[21] कुल बोली मूल्य से अधिक हो। अग्रेत्तर, बिहार वित्तीय (संशोधन) नियमावली (बि0वि0नि0), 2005 यह निर्दिष्ट करता है कि तकनीकी निविदा को स्वीकारने अथवा रद्द घोषित करने के कारणों को तकनीकी समिति द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए।

---

[19] मे0 दयानन्द प्रसाद सिन्हा एण्ड कम्पनी।

[20] मुख्य परामर्शी (तकनीकी), मुख्य परामर्शी (वास्तुविद्), मुख्य परामर्शी (वित्त एवं लेखा), कार्यपालक अभियन्ता (मुख्यालय) एवं परामर्शी (तकनीकी)।

[21] बिड क्षमता = पिछले पाँच वर्षो में अधिकतम दर्ज वार्षिक टर्नओवर × कार्य सम्पन्न हेतु वर्षो की संख्या × 3 – वर्तमान दायित्वे (प्रगतिशील कार्य)।

लेखापरीक्षा ने यह प्रेक्षित किया कि तकनीकी समिति[22] ने नौ विद्यालयों से संबंधित चार कार्यों (अनुमानित लागत ₹ 24.94 करोड़[23]) में एक बोलीकर्त्ता मे0 सत्यनारायण सिंह, झारखण्ड की बोली अपर्याप्त बिड क्षमता के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जबकि बोलीकर्त्ता की बिड क्षमता (₹ 37 करोड़) चारों कार्य में प्रत्येक की अनुमानित लागत से 400 प्रतिशत आधिक्य में थी। इसके अतिक्ति बि0वि0नि0 के आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी समिति ने कथित बोलीकर्त्ता को अपर्याप्त बिड क्षमता के आधार पर अयोग्य घोषित करने हेतु कोई स्पष्टीकरण भी प्रदान नहीं किया था।

अग्रेत्तर प्रेक्षित किया गया कि कम्पनी की तकनीकी समिति ने ₹ 37 करोड़ की समान बिड क्षमता के आठ विद्यालयों से संबंधित तीन अन्य कार्यों, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 22.32 करोड़[24] थी, में बोलीकर्त्ता को अलग–अलग तकनीकी रूप से योग्य करार देते हुए पर्याप्त माना था। यह कम्पनी द्वारा बोलियों के अनुचित मूल्यांकन एवं कार्यादेश प्रदान करने में पारदर्शिता के अभाव का द्योतक था।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन में पारदर्शिता लाने हेतु राज्य सरकार को कम्पनी द्वारा एस0बी0डी0 प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

जाली दस्तावेजों के आधार पर संविदा प्रदान किया जाना

आवश्यक सावधानी के अभाव के फलस्वरूप फर्जी बिड क्षमता वाले संवेदक का चयन हुआ जिसके कारण संवेदक को अनुचित लाभ मिला एवं ₹ 36.82 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

2.2.16 कम्पनी ने 387 समूहों में 887 विद्यालयों के निर्माण हेतु निविदाएँ आमंत्रित (18 फरवरी 2014) की थी। एक निविदाकर्त्ता (मे0 विरेन्द्र कुमार सिंह, कटिहार) ने प्रमाणित लेखाएँ (20 अप्रैल 2014) एवं सनदी लेखाकार (सी0ए0) फर्म (संजय कुमार झा एण्ड एसोसियेट्स) द्वारा निर्गत टर्नओवर का प्रमाण–पत्र (20 अप्रैल 2014) जिसमें वर्ष 2013–14[25] हेतु ₹ 49.89 करोड़ के टर्नओवर का दावा किया गया था, समर्पित किया। इन प्रमाण–पत्रों के आधार पर कम्पनी की तकनीकी समिति[26] ने निविदाकर्त्ता की बिड क्षमता ₹ 188.30 करोड़ निर्धारित की एवं कम्पनी ने 67 विद्यालयों (बिहार के विभिन्न जिलों में 18,760 विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु) के निर्माण हेतु संवेदक को ₹ 77.42 करोड़ की संविदाएँ प्रदान की, जिसके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 थी।

लेखापरीक्षा ने निविदाकर्त्ता द्वारा 2013–14 हेतु दायर आयकर रिटर्न एवं उपर्युक्त चर्चित सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित आयकर रिटर्न का सत्यापन किया जो ₹ 1.44 करोड़ टर्नओवर की एक अलग राशि को इंगित कर रहा था। यह भी अग्रेत्तर

---

[22] मुख्य परामर्शी (तकनीकी), अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), कार्यपालक अभियन्ता (मुख्यालय), वरीय वास्तुविद् एवं वरीय लेखा अधिकारी।

[23] एम0एस0 133 – ₹ 5.40 करोड़, एम0एस0 135 – ₹ 5.36 करोड़, एमएस0 166 – ₹ 8.42 करोड़ एवं एम0एस0 169 – ₹ 5.76 करोड़।

[24] एम0एस0 16 – ₹ 5.68 करोड़, एम0एस0 35 – ₹ 8.45 करोड़, एवं एम0एस0 108 – ₹ 8.19 करोड़।

[25] पिछले पाँच वर्षों में दर्ज की गई अधिकतम वार्षिक टर्नओवर, बिड क्षमता की निर्धारण हेतु अपनाया गया।

[26] मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), कार्यपालक अभियन्ता (मुख्यालय) एवं वरीय लेखा अधिकारी।

प्रेक्षित किया गया कि समान अवधि (2013–14) हेतु वाणिज्य कर विभाग में दायर रिटर्न में भी निविदाकर्त्ता ने वही टर्नओवर (₹ 1.44 करोड़) प्रतिवेदित किया था। अतः जाली प्रमाण–पत्र के आधार पर अयोग्य निविदाकर्त्ता को संविदाएँ प्रदान की गई थी।

यह भी अग्रेत्तर प्रेक्षित किया गया कि संविदाएँ प्राप्त करने के उपरान्त अयोग्य निविदाकर्त्ता ₹ 36.82 करोड़ का व्यय करने के बावजूद 67 विद्यालयों में से किसी का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कर सका।

शिक्षा विभाग ने जवाब में कहा (नवम्बर, 2017) कि बिड क्षमता में वृद्धि एक वर्ष में टर्नओवर के वृद्धि के फलस्वरूप था, जो प्राप्ययोग्य था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है। कम्पनी निविदाकर्त्ता की काल्पनिक प्रमाण पत्र, जो सी0ए0 द्वारा निर्गत जाली प्रमाण–पत्र से समर्थित था, की पहचान करने में विफल रही। लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस तथ्य से भी समर्पित है कि संवेदक 67 विद्यालयों में एक भी विद्यालय का निर्माण पूर्ण करने में विफल रहा था।

अनुशंसा

राज्य सरकार को निविदाकर्त्ता द्वारा समर्पित सभी प्रलेखों का सत्यापन एवं वैसे निविदाकर्त्ता व उनके सहभागियों जो जाली प्रमाण–पत्र समर्पित करते हैं, को काली–सूची में डालने एवं उन पर आपराधिक मुकदमा चलाने हेतु उचित प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

निष्पादन बैंक गारण्टी के नवीनीकरण में कम्पनी की विफलता

2.2.17 एस0बी0डी0 यह निर्दिष्ट करता है कि संवेदक निविदा की राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि का अपरिवर्तनीय निष्पादन बैंक गारण्टी (पी0बी0जी0) समर्पित करेगा, जो शुरूआतन दोष देयता अवधि[27] से 28 दिनों बाद तक वैद्य रहेगी। संविदा निरस्त करने की स्थिति में पी0बी0जी0 जब्त कर लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि धीमी कार्य प्रगति के कारण कम्पनी ने कुल ₹ 9.08 करोड़ का छः कार्य निरस्त कर दिया था। तथापि इन पी0बी0जी0 के नवीनीकरण में कम्पनी के अधिकारियों[28] की विफलता के कारण ₹ 59.68 लाख की पी0बी0जी0 का नगदीकरण नहीं किया जा सका। अग्रेत्तर यह भी प्रेक्षित किया गया कि 36 कार्य के मामलों में कम्पनी के वही अधिकारीगण वैद्यता अवधि के व्यतीत होने से पूर्व ₹ 2.91 करोड़ राशि की पी0बी0जी0 का नवीनीकरण कराने में विफल रहे, जबकि ये सभी कार्य अपूर्ण थे (मार्च 2017) । समयसीमा समाप्त होने वाले पी0बी0जी0 का विस्तारण नहीं होना, संवेदक से चूक की स्थिति में कम्पनी को उपलब्ध वित्तीय सुरक्षा उपायों को गम्भीर रूप से प्रभावहीन बना देता है।

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकारते हुए कहा (नवम्बर 2017) कि भविष्य में पी0बी0जी0 के सतत् अनुश्रवण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे है।

अनुशंसा

कम्पनी को पी0बी0जी0 के ससमय नवीनीकरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

[27] कार्य पूर्ण होने के पश्चात, वह अवधि (परियोजनाओं के हस्तगत करने से 36 महीनों तक) जिसके दौरान किसी भी त्रुटि के सुधार हेतु संवेदक उत्तरदायी है।

[28] महाप्रबन्धक (वित्त) सह वरीय लेखा अधिकारी (वित्तीय स्कंध)।

संविदाओं को निरस्त करने में विफलता एवं विवादित स्थलों पर निर्माण के कारण ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय

2.2.18 मानक बोली दस्तावेज वैसे संविदाओं को निरस्त करने हेतु प्रावधानित करता है जहाँ संवेदक संविदा की नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में निरन्तर उपेक्षा/चूक करता है।

लेखापरीक्षा ने प्रेक्षण किया कि यद्यपि 21 विद्यालयों से संबंधित छ:[29] कार्यों (एकरारनामा लागत ₹ 9.08 करोड़) की प्रगति धीमी थी, कम्पनी (मुख्य अभियन्ता) को ₹ 2.77 करोड़ व्यय करने के उपरान्त संविदाओं को निरस्त करने में चार वर्ष लग गए। इसके अतिक्ति दो विद्यालयों से संबंधित दो कार्यों[30] का परित्याग, विवादित स्थल पर निर्माण के कारण ₹ 33.08 लाख व्ययोपरान्त, कर दिया गया।

धीमा निष्पादन एवं विवादित स्थल पर निर्माण के फलस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ

23 विद्यालयों से सम्बन्धित आठ कार्यों के परित्याग के फलस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ के व्यय करने के बावजूद भी विद्यार्थियों को पाँच वर्षों से अधिक अवधि तक बेहतर शैक्षणिक आधारभूत संरचना के निहित लाभों को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार इन आठ कार्यों पर ₹ 3.10 करोड़ व्यय की गई राशि निष्फल हो गयी।

परित्याग की गई कार्यों की छवि

उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, देवचन्दा, पीरो (यू0एस0एस0–6, दिनांक 11.07.2017)	मध्य विद्यालय, अन्धारवन, मधुबनी, (एस0एस0एस0–199, दिनांक 20.07.2017)

शिक्षा विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (नवम्बर 2017) किया।

अनुशंसा

कम्पनी को कार्यारम्भ से पूर्व स्थलों का विवाद–मुक्त होना एवं दोषी संवेदकों के प्रति ससमय कार्रवाई करना सुनिश्चित करना चाहिए।

पाईल कार्य की विभिन्न घटकों को ध्यान में न रखकर अनुचित दर की अधिसूची अपनाने से संवेदक को ₹ 3.72 करोड़ के अनुचित लाभ का विस्तार

2.2.19 बिहार लोक निर्माण विभाग कोड यह निर्दिष्ट करता है कि कार्यों हेतु प्राक्कलन/बी0ओ0क्यू0/बिहार दर अधिसूची (एस0ओ0आर0) के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। जहाँ विशिष्ट मदों हेतु बिहार एस0ओ0आर0 में दर प्रावधानित नहीं

[29] यू0एस0एस0–6, यू0एस0एस0–7, यू0एस0एस0–8, यू0एस0एस0–40, यू0एस0एस0–43 एवं यू0एस0एस0–45।

[30] मामला एस0एस0एस0 – 261 : विद्यालय का निर्माण रैयती भूमि (कृषि उद्देश्य हेतु भूमि का अधिग्रहण हेतु अधिकार) पर किया जा रहा था जिसके परिणामस्वरूप निर्माण न्यायालय आदेश द्वारा स्थगित (अगस्त 2015) कर दिया गया था। मामला एस0एस0एस0 – 199 : निर्माण बीच मे रोक (दिसम्बर 2014) दिया गया था चूँकि जिलाधिकारी ने स्थल बदलने हेतु आदेश पारित किया था।

g] ol h fLFkfr e lcf/kr {k=k d i ;kT; dUnh; ykd fuek.k foHkkx ¼d0yk0fu0fo0½ ,l0vk0vkj0 dh njk dk viuk;k tk ldrk gA

fcgkj ,l0vk0vkj0] 2011 e igy s l s miyC/k 500 ,e0,e0 0;kl d s dke d s vyx&vyx ?kVdk s ij fopkj dju s e s dEiuh dh foQyrk d s ifj.kkLo:i lond dk ` 3-72 djkM+ dk ifjgk;l vfrfjDr Hkqxrku gqvk

pUnxIr ic/ku lLFkku] iVuk d dk; lc/kh vfHky[kk dh lol{kk l Kkr gvk fd 500 ,e0,e0 0;kl ikby dk; gr dEiuh dh rduhdh lefer[31] u d0yk0fu0fo0 fnYyh] ,l0vk0vkj0 nj bl vk/kkj ij viuk;k fd bl dk;[32] dk ,de"r nj[33] fcgkj ,l0vk0vkj0] 2011 e miyC/k ugh FkkA rFkkfi y[kkijh{kk u i{k.k fd;k fd rduhdh Ld/k dk rd xyr Fkk pfd fcgkj ,l0vk0vkj0] 2011 e 500 ,e0,e0 0;kl d ikby dk; d fofHkUu ?kVdk dk nj miyC/k Fkk vkj ; nj vYi FkhA ifj.kkeLo:i fcgkj ,l0vk0vkj0 d vuLkj 500 ,e0,e0 0;kl dk; dk ch0vk0D;0 ykxr ` 2]165-65 ifr jfux ehVj ¼vkj0,e0Vh0½ dh nj d fo:) ` 3]075-81 ifr vkj0,e0Vh0 fy;k x;kA bld ifj.kkeLo:i 39]240 vkj0,e0Vh d dk; fu'iknu ij ` 3-72 djkM[34] dk ifjgk; vf/kHkxrku gvkA

f'k{kk foHkkx dk tokc ¼uoEcj] 2017½ y[kkijh{kk i{k.k ij Li"V er0; ugh n ik;kA

vuq'kalk

dEiuh dk fcgkj ,l0vk0vkj0 d s vuqlkj Je ,o s lkexzh d s mfpr nj dk s viukuk lqfuf'pr djuk pkfg,A

dkM@vuqcU/k d s iko/kkuk s dk vuqikyu ugh a gkuk

2-2-20 dkM d iko/kkuk d fuEufyf[kr mYy?ku if{kr fd, x, %

¼1½ fcgkj ykd fuek.k foHkkx ¼fc0yk0fu0fo0½ dkM ;g fufn'V djrk g fd ol dk; en tk ch0vk0D;0 e "kkfey ugh g] dk vfrfjDr dk; lEcf/kr fd;k tk,xk ,o ftld fy, ijd ,djkjukek fd;k tk,xkA rFkkfi] y[kkijh{kk u i{k.k fd;k fd 28 legk d dk;k d ekeyk e fcuk ijd vucU/k fd, dEiuh dh fopyu lefer[35] u vfu;fer :i l fopyu gr lgefr inku dh ,o ifjek.k foi= l ij vU; enk gr ` 4-25 djkM dk Hkxrku fd;kA

viu tokc e ¼uoEcj 2017½ e f"k{kk foHkkx u dgk fd y?k ifj;ktukvk e fc0yk0fu0fo0 dkM d iko/kkuk dk vuikyu ugh fd;k x;k Fkk ,o ekstnk fLFkfr dk n[kr g, vYi l/kkjk dk leko"k fd;k x;k Fkk] ftldk vuekntu fopyu lefer dh vu"kalk ij dh xbZ FkhA

tokc Lohdk; ugh g pfd fc0yk0fu0fo0 dkM y?k ifj;ktukvk gr Hkh ykx gA

[31] ijke"kh ¼e0 MhOMh0,Q0 dUlYVUV ikbosV fyfeVM ,o e[; ijke"kh ¼rduhdh½A
[32] ikby dk; dk rkRi; Hkfe d uhp vk/kkj dk; l g tk Hkou dh vk/kkj ,o Hkkj ogu {kerk dk ln< djrh gA
[33] ,de"r nj ftle enk dh iR;d ?kVd nj dk leko"k gkrk gA
[34] ` 3-72 djkM ¾ 39]240 × ¼3]075-81 & 2]165-65½ × 1-043 ¼pfd vucU/k ykxr ifjek.k foi= l 4-30 ifr"kr vf/kd FkkA½
[35] e[; vfHk;Urk] dk;ikyd vfHk;Urk ¼e[;ky;½] dk;ikyd vfHk;Urk ¼lcf/kr dk;@ie.My½ ,o lgk;d vfHk;UrkA

¼2½ ,l0ch0Mh0 iko/kkuk d vulkj dk; e foyEc mRiUu gku dh frfFk l 14 fnuk d vUnj lond }kjk le; foLrkj rFkk y{;k d iufu/kkj.k gr vkonu fd;k tkuk pkfg,A y[kkijh{kk u if{kr fd;k fd 31 dk;k d ekeyk e londk u dk; d i.k gku dh fu/kkfjr frfFk l ,d l 40 eghu rd dh vof/k d ckn le;kfoLrkj gr vkonu fd;kA y[kkijh{kk u ik;k fd bu lHkh ekeyk e rFkk mi;Dr iko/kkuk dk mYy?ku dj] e[; vfHk;rk ¼rduhdh½ u vfu;fer :i l le; foLrkj fn;kA rnulkj] dEiuh u igy l jkdh gb {kfrifr dh jkf'k ` 1-68 djkM lond dk foeDr dj fn;kA

f"k{kk foHkkx dk tokc ¼uoEcj 2017½ y[kkijh{kk i{k.k d bu eík dk lckfèkr ugh djrk g fd londk u le; ij vkonu D;k ugh fn;k Fkk ,o D;k vkj fdl vf/kdkj d vk/kkj ij e[; vfHk;rk ¼rduhdh½ u ,l0ch0Mh0 iko/kkuk dk mYy?ku fd;k Fkk ,o foyEc l le;kfoLrkj dk vueknu dj dkVh xb {kfrifr dh jkf'k dk foeDr dj fn;k FkkA

vu|'kalk

dEiuh dk dkM d iko/kkuk ,o i;kT; dkuuk d vu|ikyu dk lfuf'pr djuk pkfg,A

832 fo|ky;k e vkb0lh0Vh @ Ldy ;ktuk d dk;kUo;u e dfe;k

2-2-21 fo|ky;k e lpuk ,o nj lpkj rduhdh ¼vkb0lh0Vh0 @ Ldy½ jk'Vh; ek/;fed f"k{kk vfHk;ku dh ,d dUn ik;kftr ;ktuk g] tk vU; ckrk d lkFk fo|ky;k e lrr mtk vkifr dh fuHkjrk lfuf"pr dju] bUVjuV lecU/krk] f"k{kdk dk if"k{k.k ,o fofHkUu fo'k;k ij b&dUVV[36] d fodkl gr fufn'V djrh gA 1]000 fo|ky;k e lpuk ik|kfxdh ¼vkb0Vh0½ vk/kkjHkr ljpuk[37] dh vkifr ,o l/kkj.k gr vkb0lh0Vh0 @ Ldy ;ktuk dk dk;kUo;u dk; foHkkx dh bdkb fc0ek0f'k0ifj0] u dEiuh dk inku ¼tu 2011½ fd;kA foØrkvk l vkb0lh0Vh @ Ldy ;ktuk dk iHkkj yu l io jkT; d ikp {k=k e Qy 832 fo|ky;k e ` 116-07 djkM dh jkf"k ij ikp o'kk gr vkb0lh0Vh0 @ Ldy ;ktuk dk dk;kUo;u dk; gr dEiuh u fufonk ifØ;k d ek/;e l p;fur rhu foØrkvk[38] l vucU/k ¼tu 2012 ,o tykb 2012½ fd;kA fuf/k;k d vHkko e 168 fo|ky;k e dk;kjEHk ugh fd;k tk ldkA ;ktuk d vUrxr foØrkvk }kjk inku dh xb yxHkx lHkh lokvk e i{k.k dh xb fopyuk dh ifjppk fuEur% dh xb g %

¼1½ 832 fo|ky;k d ekeyk e foØrkvk l dh xb vucU/kk d fu;ek ,o "krk d vulkj londk }kjk vkifr] ifrLFkkiu dh xb gkMo;j] lk¶Vo;j ,o vU; lgk;d lkexh d Lohdk;&ijh{k.k gr dEiuh ¼icU/k fun"kd ,o egkicU/kd ih0vkb0½ u rrh; i{k dk fu;fDr ugh fd;kA ifjHkkf'kr lokvk d miyC/krk dh

36 ble b&VDLV ,o fMftVy yfux llk/ku tl fd fMftVy VDLV cd] dk;&iLrd y[k@jpuk] ehfM;k ,o eYVh ehfM;k g tk vf/kdkf/kd vUr&okrkykik] lfo/kulkj vudfyr dju ,o f"k{kdk ,o Nk=k dk lkekftd :i l tkMu gr lfo/kk inku djrh gA

37 dEI;Vj d{k dh LFkkiuk] MLdVki lfgr gkMo;j] ih0lh0 lk>nkjh fdV] uVofdx midj.k] vkijfVx flLVe ,o ,lyhfd"ku lk¶Vo;j] Quhpj] f"k{kd if"k{k.k] b&dUVUV dk fodkl] bR;kfnA

38 e0 dkEI;dke lk¶Vo;j fyfeVM ¼{k= 2 ,o {k= 4½] e0 vkb0,y0 ,.M ,Q0,l0 ,td"ku ,.M VDukykth lfolt fyfeVM ¼{k= 1 ,o {k= 5½ ,o e0 fi;jlu ,td"ku lfolt ikboV fyfeVM ¼{k= 6½A

lR;kiu gr dfFkr Lohdk; ijh{k.k dk lEiknu djuk furkr vko";d FkkA vxrj] dfFkr Lohdk; ijh{k.k gr dkb le; lhek vucU/k e ifjHkkf'kr ugh fd;k x;k Fkk] ftld QyLo:i vucU/k nk'ki.k Qfyr gvkA

½2½ 68 fo|ky;k e ` 1-50 djkM ykxr dh vkb0lh0Vh0 lkefx;k dh pkjh ¼tykb 2012 l tu 2016½ d n'Vkr if{kr fd, x, ftldh ifrifr londk }kjk ikp l ydj 49 eghuk d vlkekU; foyEc l Qjojh 2015 l tykb 2017 dh vof/k e fd;k x;kA dfFkr pkfj;k u bu fo|ky;k e vkb0lh0Vh0 f"k{kk inku dju dh ifØ;k dk cjh rjg l iHkkfor fd;k ,o bl vof/k d nkjku bu fo|ky;k d Nk=k dk vkb0lh0Vh0 f"k{kk l ofpr gkuk iMkA

¼3½ ;ktuk d eY;kdu gr dEiuh u rrh; i{k vfHkdj.k dh fu;fDr ¼ekp 2017½ pkj o'kk l vf/kd d foyEc d mijkr fd;kA vxŸkj vucU/k e dkb le;&lhek ifjHkkf'kr ugh fd;k x;k Fkk] ftld QyLo:i vucU/k nk'k;Dr gk x;k FkkA

¼4½ iFke o'k e 80 ?kVk dh vkjfEHkd if"k{k.k d lkFk&lkFk vxŸkj o'kk e 40 ?kVk d iu"p;k if"k{k.k dh vko";drk d fo:) dEiuh u ek= 40 ?kVk dk vkjfEHkd if"k{k.k d lkFk vxŸkj o'kk e ek= pkj fnuk dk iu"p;k if"k{k.k inku fd;kA vxrj 8]320[39] okfNr f"k{kdk d if"k{k.k d fo:) ek= 5]769 f"k{kdk dk if"k{k.k ¼fnlEcj 2015 l tuojh 2016½ inku fd;k x;kA

¼5½ fofHkUu fo|ky;k e fo|kfFk;k dh le>nkjh Lrjk e of) gr foØrkvk l dh xb vucU/kk e b&dUVUV dk dkb iko/kku ugh fd;k x;k FkkA bldk ie[k dkj.k dEiuh }kjk cjrh xb ykijokgh FkhA

vxrj] dEiuh ¼icU/k fun"k ,o egkicU/kd] ;ktuk dk;kUo;u½] vucU/kk e forj.k ;kX; lokvk gr fufn'V le;&lhek d lkFk&lkFk nkf.Md mi&okD;k d leko"k e foQy jgk] ftld QyLo:i lond }kjk foyEc l vucU/k djuk] pkjh gb lkefx;k dh ifrifr[40] ,o f"k{kdk dk if"k{k.k bR;kfn vf/kd foyEc l gvkA bld QyLo:i ;ktuk d mí";k dk iHkkodkjh rjhd l ikIr ugh fd;k tk ldkA

f"k{kk foHkkx u y[kkijh{kk i{k.kk dk Lohdkjr g, dgk ¼uoEcj 2017½ fd y[kkijh{kk i{k.k dk Hkfo';e vuikyu gr /;ku e j[k fy;k x;k gA

fu"d"k

- dEiuh dk foŸkh; icU/ku vudkud nk"kk l xflr g tl vi;Dr fuf/k;k gr vkVk Lohi lfo/kk dk u viukuk] lkfof/kd dj Hkxrku e foyEc ftld QyLo:i n.M Hkkfjr gvk] fu"iknu cd xkjf.V;k d lle; uohuhdj.k e foQyrk] ekfcykbt'ku vfxe dk vfu;fer :i l inku djuk] bR;kfnA
- vkUrfjd fujh{k.k i.kkyh detkj g D;kfd dEiuh e vkUrfjd y[kkijh{kk Ld/k ugh gA 'kh"k ,o e/; Lrjh; icU/ku okfNr

[39] iR;d fo|ky; e de l de 10 f'k{kdk dk if'k{k.k inku dju d vk/kkj ij x.kuk dh xbA

[40] f'k{kd if'k{k.k dk i.k djuk] gkMo;j ,o lk¶Vo;j dh vkifr ,o b&dUVUV dk fodkl ,o ifrLFkkiu bR;kfnA

व्यवसायिक सुझबुझ बरतने में विफल रहा जो कम्पनी के विभिन्न कार्यकलापों में प्रेक्षण की गई अनियमितताओं से स्वतः स्पष्ट है।

- मॉडल स्कूलों के निर्माण हेतु प्राक्कलन में फर्नीचर घटकों को शामिल नहीं करना, अयोग्य निविदाकर्त्ता का चयन, विभिन्न परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छुट का लाभ उठाने में विफलता, सटीक एस0ओ0आर0 को नहीं अपनाना, इत्यादियों के दृष्टिकोण से परियोजना प्रबन्धन सभी स्तर, वस्तुतः नियोजन, निष्पादन एवं अनुश्रवण, पर दोषपूर्ण था।
- शिक्षा विभाग, जो प्रशासी विभाग है एवं जिसके सामान्य पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कम्पनी संचालित होती है, कम्पनी द्वारा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी था। राज्य में मॉडल स्कूल योजना की विफलता इस तथ्य का स्पष्ट द्योतक है कि विभाग अपनी बाह्य निरीक्षण कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहा, जिसके फलस्वरूप अधिकाधिक संख्याओं के छात्रों को उन्नत शैक्षणिक लाभों से वंचित होना पड़ा।